# CONTENTS

Sixteenth Series, Vol.XIV, Sixth Session, 2015/1937 (Saka) No. 20, Wednesday, December 23, 2015/Pausha 2, 1937 (Saka)

SUBJECT	PAGES
OBITUARY REFERENCES	11
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.341 to 346	17-69
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 347 to 360	70-118
Unstarred Question Nos 3911 to 4140	119-535

\_

 $<sup>^{*}</sup>$  The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPE	RS LAID ON THE TABLE	536-559
1	AGES FROM RAJYA SABHA AND AS PASSED BY RAJYA SABHA	560
	MITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS RESOLUTION	
	Minutes	561
	DING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS	561
BACK	IITTEE ON WELFARE OF OTHER WARD CLASSES	
2	4 <sup>th</sup> Report	561
TECH	DING COMMITTEE ON SCIENCE AND NOLOGY	
2	269 <sup>th</sup> and 270 <sup>th</sup> Reports	561
STATI (i)	Status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on External Affairs on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of External Affairs.	
	Shrimati Sushma Swaraj	562
(ii)(a)	Status of implementation of the recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Urban Development	562
(b)	Urban Development.  Status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	562
	Shri M. Venkaih Naidu	563

(iii)	Status of implementation of the recommendations contained in the 14th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Minority Affairs.	
	Dr. Najma A. Heptulla	563
(iv)	Status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of Communications and Information Technology.	
	Shri Ravi Shankar Prasad	564
(v)	Status of implementation of the recommendations contained in the 1st and 6th Reports of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2014-15) and (2015-16) respectively), pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development.	
	Shri Chaudhary Birender Singh	564
(vi)	Status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Railways on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Railways.	
	Shri Manoj Sinha	565
MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (SECOND AMENDMENT) BILL, 2015 – EXTENSION OF TIME 565		

MATT	TERS UNDER RULE 377	566-592
(i)	Need to connect Kaushambi district in Uttar Pradesh, a place of historical Buddhist site with Buddhist Tourist Circuit and also take measures to develop the site as a tourist destination.	
	Shri Vinod Kumar Sonkar	566
(ii)	Need to reopen closed sugar mills in Basti parliamentary constituency, Uttar Pradesh.	
	Shri Harishchandra alias Harish Dwivedi	567
(iii)	Need to conserve and develop places of tourist and cultural heritage in Allahabad and its surrounding places in Uttar Pradesh.	
	Shri Keshav Prasad Maurya	568
(iv)	Need to take effective steps to curb trafficking of children in the country.	
	Shri Ramesh Chandra Kaushik	569
(v)	Need to clear railway land from encroachment in Maharashtra particularly in Vidarbha region of the State.	
	Shri Nana Patole	570
(vi)	Need to provide special fund for construction of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Mandi parliamentary constituency, Himachal Pradesh.	
	Shri Ramswarup Sharma	571
(vii)	Need to set up Skill Development Centres in Maharajganj parliamentary constituency, Bihar.	
	Shri Janardan Singh Sigriwal	572

(viii)	Need to improve services of BSNL in Ladakh.	
	Shri Thupstan Chhewang	573
(ix)	Need to undertake electrification of railway line on Jaipur-Sawai Madhopur and Delhi-Jaipur-Agra section and also run a direct train from Jaipur to Shirdi	
	Shri Ramcharan Bohra	574
(x)	Need to set up a Committee to look into the grievances of people displaced due to establishment of industrial factories and power plants in Sidhi parliamentary constituency, Madhya Pradesh.	
	Shrimati Riti Pathak	575
(xi)	Need to set up a Railway Division at Thawe in Gopalganj parliamentary constituency, Bihar.	
	Shri Janak Ram	576
(xii)	Need to cover the huge coal mine pits abandoned after mining work by Coal India Limited causing environmental pollution as well as becoming a hiding place for criminals in the region	
	Shri Ravindra Kumar Ray	577
(xiii)	Need to stop collection of toll tax on National Highways across the country.	
	Shri Subhash Chandra Baheria	578
(xiv)	Need to connect Sitapur with Lakhimpur by a four lane road and also provide the same road connectivity between Dudhwa National Park and Lakhimpur district headquarters.	
	Shri Ajay Misra Teni	579

(xv)	Need to extend loan facilities to cattle rearers under MUDRA Bank Scheme.	
	Shri Sukhbir Singh Jaunapuria	580
(xvi)	Need to develop a roadmap for distribution, availability and optimum utilisation of water resources in the country with particular focus on Bundelhand region under IMPRINT India Scheme.	
	Kunwar Pushpendra Singh Chandel	581
(xvii)	Need to improve road connectivity in Supaul parliamentary constituency, Bihar.	
	Shrimati Ranjeet Ranjan	582
(xviii)	Need to construct E.S.I. Dispensary-cum-Diagnostic lab building at Nanjangud town Headquarters, Mysore district.	
	Shri R. Dhruvanarayana	583
(xix)	Need to set up an export oriented Common facility Centre for export of banana in Theni parliamentary constituency of Tamil Nadu.	
	Shri R. Parthipan	584
(xx)	Need to provide group insurance Scheme to Cotton growers and also set up an ITI in Perambalur parliamentary constituency.	
	Shri R.P. Marutharajaa	585
(xxi)	Regarding shortage of faculty in Indian Universities.	
	Shrimati Pratima Mondal	586

(xxii)	Need to create efficient system of public transport with adequate safety standards in the country.	
	Shri Dinesh Trivedi	587
(xxiii)	Need to sanction Bargarh-Nuapada via Padampur to Raipur railway line.	
	Dr. Prabhas Kumar Singh	588
(xxiv)	Need to improve rail connectivity in Srikakulam Parliamentary constituency.	
	Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	589
(xxv)	Need to bust call money racket in Andhra Pradesh.	
	Shri Y.V. Subba Reddy	590
(xxvi)	Need to set up additional Cancer treatment centres in Assam.	
	Shri Radheshyam Biswas	591
(xxvii)	Need to put in place a mechanism for effective monitoring and surveillance of foreign fishing vessels in Indian waters.	
	Shri N.K. Premachandran	592
	ON RE: CONSTITUTION OF JOINT HITTEE ON INSOLVENCY AND BANKRUPTCY 2015	598-602
VALED	DICTORY REFERENCE	603-605
NATIO	NAL SONG	605

ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	606
Member-wise Index to Unstarred Questions	607-611
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	612
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	613-614

# **OFFICERS OF LOK SABHA**

#### THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

#### THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

## PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi
Shri Hukmdeo Narayan Yadav
Shri Anandrao Adsul
Shri Pralhad Joshi
Dr. Ratna De (Nag)
Shri Ramen Deka
Shri Konakalla Narayana Rao
Shri Hukum Singh
Shri K.H. Muniyappa
Dr. P. Venugopal

#### **SECRETARY GENERAL**

Shri Anoop Mishra

# LOK SABHA DEBATES

# LOK SABHA

-----

Wednesday, December 23, 2015/Pausha 2, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

#### **OBITUARY REFERENCES**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को श्री के. गोपाल के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। वे तिमलनाडु के करूर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए पांचवीं और छठीं लोक सभा के सदस्य थे। श्री गोपाल एक सिक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने 1979 से 1980 तक संसदीय कार्य मंत्रालय के केन्द्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वे प्राक्कलन सिमित के सदस्य भी थे। श्री के. गोपाल का निधन 81 वर्ष की आयु में 30 अगस्त, 2015 को चेन्नई में हुआ। हम श्री के.गोपाल के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।

माननीय सदस्यगण दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 को एक त्रासदीपूर्ण दुर्घटना में दिल्ली हवाई अड्डे के निकट द्वारका में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के दस कार्मिकों की मृत्यु होने की सूचना मिली है। यह सभा इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और दुख व्यक्त करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी रहे।

## **11.01 hours**

The Members then stood in silence for short while.

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : एक मिनट रुकिए। मैं एडजर्नमेंट मोशन्स के बारे में पहले निर्णय देती हूं, फिर बोलिए।

Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Sarvashri Jay Prakash Narayan Yadav, N.K Premachandran, K.C. Venugopal and Rajeev Satav on different issues.

The matters though important enough do not warrant interruption of business of the day. The matters can be raised through other opportunities.

I have, therefore disallowed all the notices of Adjournment Motion.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): मैडम, जीरो आवर में ले लिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : अगर होता है तो लेंगे।

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम स्पीकर, कल इस सदन में शायद भावनात्मक हो या किस तरह से वह ऑब्जर्वेशन आया, मुझे मालूम नहीं है। उसमें यह कहा गया है और पत्रिका में भी यह प्रकट हुआ है - उनका कोई नेशनल इंट्रेस्ट नहीं है, उनका वेस्टेड इंट्रेस्ट है। They do not have any national interest, they have only vested interest. ...(व्यवधान) ऐसा कांग्रेस पार्टी के बारे में यहां कहा गया है। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है क्योंकि ऑनरेबल स्पीकर ने ऐसी ऑब्जर्वेशन किया है।...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): मैडम, स्पीकर के ऑब्जर्वेशन के बारे में चर्चा होना ठीक नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: वैंकैय्या जी, मैं इसे देखूंगी।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे : देखिए, मैं उनकी परमीशन लेकर बात कर रहा हूं, मुझे आपकी परमीशन की आवश्यकता नहीं है।...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: ऐसी चर्चा ठीक नहीं है।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको भी किसी को बीच में टोकने की आवश्यकता नहीं है। The matter relates to me. अगर आपको चिल्लाकर ही बोलना हो तो फिर मैं किसी को नहीं सुनुंगी। Please be quiet. किसी के भी बारे में कुछ तो गाम्भीर्य कायम रखो।

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: मैडम, चिल्लाकर नहीं बोल रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं। आप उसे चिल्लाना बोल रही हैं तो वैसा नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : मैं उनके लिए बोल रही थी।

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: मैडम, मैं सिर्फ एक मिनट में बताता हूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य नेशनल इंटरैस्ट के इश्युज को इस सदन के सामने लाना है। हर रोज कोई न कोई मुद्दा सरकार की तरफ से ही उठता है। चाहे वह श्री वी.के.सिंह का हो, चाहे डीडीसीए का हो...(व्यवधान) चाहे अरूणाचल का हो...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इतनी सारी बात नहीं करोगे। I am sorry. मैं आपकी बात समझ गई।

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: इसीलिए इस सदन में ऐसी गड़बड़ी हुई। उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए सरकार जिम्मेदार है।

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिये। Now, please take your seat. I understand it.

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: इसीलिए आपका ऑब्जर्वेशन किसी एक पोलिटिकल पार्टी के खिलाफ अगर ऐसा होता है तो हमें उससे हर्ट हुआ है, हम दुखी हो गये। यह अच्छा नहीं है कि एक पार्टी को इस ढंग से देखना और सारे देश के लोगों को यह कहना...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी डिमांड रिखये। मैं आपको अलाऊ कर रही हूं, इसका गलत फायदा मत उठाइये।

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: सारे देश के लोगों को यह कहना कि कांग्रेस पार्टी का वैस्टेड इन्टरैस्ट है, नेशनल इंटरैस्ट नहीं है, ऐसा कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा कहा है तो कल क्या होगा, आप हमारी रक्षक है, आप हमारी गार्डियन है, आप कुछ भी कह सकती हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इन शब्दों को एक्सपंज कीजिए और आप यह किहये कि यह ठीक नहीं है। आइंदा किसी पार्टी के बारे में कोई सदस्य अगर कुछ गलत कहता है, अगर मैं भी कुछ गलत बोलता हूं, आप मुझे टोक सकती हैं या कोई सदस्य उठकर अगर अनपार्लियामैन्ट्री, डेरोगेटरी रिमार्क्स करता है तो आप एक्सपंज कीजिए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपकी बात समझ गये, अब आप बैठिये।

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: मैडम यह अच्छा नहीं है। इसलिए आप वह एक्सपंज कर दीजिए। यह ठीक नहीं है, आप इसके बारे में अपना निर्णय दीजिए।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: He is not talking about the subject.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): Madam, it relates to my appeal to the hon. Members who were in the Well of the House yesterday to listen to the question that I was asking about coastal security because of terrorism threat and illegal immigration. I think it is important to put on record that neither I nor the Chair took any Party's name in the matter. We were only appealing to listen to the question in national interest.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : कोई बात नहीं है, मेरा यह कहना है कि अगर उन्हें भी किसी बात का दुख होने लगा है तो वह भी अच्छी बात है।

माननीय अध्यक्ष : मेरा इतना ही कहना है कि अब वह भी सोचें कि हर्ट सभी हो सकते हैं। आपने जो रिक्वैस्ट की है, मैंने किसी पार्टी के बारे में, पार्टी के नाम का उल्लेख भी नहीं किया है, लेकिन वैल में आकर जिस तरीके से गत कई दिनों से हाउस को डिस्टर्ब किया जा रहा है, घोषणाएं भी दी जा रही हैं, जो आपकी घोषणा है, आप पलटकर उस पर विचार करना। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि वैस्टेज इन्टरैस्ट शब्द निकालो तो I am ready. अगर वैस्टेज इन्टरैस्ट शब्द है तो उतना मैं जरूर एक्सपंज करूंगी।

# ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने पार्टी के लिए नहीं बोला है, वैस्टेज इन्टरैस्ट I will definitely expunge. मैं समझ रही हूं, मैंने इन्हें इतना ही कहा है

#### ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उस समय वास्तव में नेशनल इंटरैस्ट की बात हो रही थी।

## ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिये, उस समय जो दोनों सब्जैक्ट क्वैश्चन में आए थे, जो इनवायरनमैन्ट का था, जिस पर आज की तारीख में वर्ल्ड लैवल पर बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है।

## ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिये। अब आप बैठिये। आप बार-बार मुझे नहीं टोकोगे, अब आप इतनी हिम्मत भी मत करियेगा।

दूसरी बात सिक्युरिटी की आई थी। दोनों एक प्रकार से widely national interest subject थे और उन्हें लेकर मैंने कहा है कि नेशनल इंटरैस्ट नहीं है तो वह नहीं, लेकिन वैस्टेज इन्टरैस्ट वाली बात मैं एक्सपंज करूंगी।

I will expunge it. आई एम सॉरी, अगर आपको दुख हुआ है तो भी सॉरी। मैं एक्सपंज करूंगी।
...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: मैडम, मैंने इसलिए आपसे विनती की कि यह अलाऊ नहीं है। Nobody can discuss the conduct of the Speaker in the House. Is obstructing the House in the national interest?...(व्यवधान) गतिरोध बनाये रखना क्या देश के हित में है?...(व्यवधान) आप इतने अनुभवी हैं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय वैंकैय्या जी, उनको कुछ बात हर्ट हुई। I am sorry for that. But I will expunge whatever I had said.

... (Interruptions)

#### 11.10 hours

# **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

HON. SPEAKER: Now Question Hour. Q. NO. 341- Shrimati Sakuntala Laguri.

# (Q.341)

\*SHRIMATI SAKUNTALA LAGURI: Madam, I thank you for giving me the opportunity to ask a supplementary question on this important subject. I have gone through the reply tabled by the Hon. Minister. You see, I am sorry to point out both the availability of telephone services and it's expansion in all the States, Union territories and their backward areas are dismal. There are problems of connectivity and call drops.

It is a sad state of affairs that as per the reply Odisha has the highest 10398 uncovered villages and funds utilization duirng 2015-16 so far is nil. May I know from the Hon. Minister, that what steps has so far been taken by the Ministry so far? Is not it a fact that uncovered villages are increasing?

श्री रिव शंकर प्रसाद: महोदया, माननीय सदस्या ने उड़िया में प्रश्न पूछा है, उसका अनुवाद थोड़ा मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उनके भाव को मैं समझा हूँ। ... (व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने इसीलिए आपसे विनती की थी कि आप अलाऊ मत कीजिए, ...(व्यवधान) फिर उन्होंने फायदा उठाया। ...(व्यवधान)

श्री रिव शंकर प्रसाद : लेकिन मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि लगभग 55669 गांवों में अभी तक टेलिफोन की सुविधा नहीं पहुंची है। ...(व्यवधान) उसमें ग्रामीण इलाके, हिमाचल प्रदेश और हिमालय पर्वत के आस-पास के हैं। ...(व्यवधान) बाकी जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो माओवादी इलाके हैं, उन सभी में कार्यवाही चल रही है, जो कि उत्तर में लिखा हुआ है। ...(व्यवधान) बाकी क्षेत्रों के लिए मैंने बीएसएनएनल को निर्देशित किया है कि तीन महीने के अंदर पूरी योजना बना कर आएं। ...(व्यवधान) अभी तक 90.69 प्रतिशत क्षेत्र में कवरेज है और ज्यादा करने की हम कोशिश करेंगे तथा सुधार भी रहेगा। ...(व्यवधान)

\_

<sup>\*</sup> English translation of the Speech originally delivered in Oriya.

\*SHRIMATI SAKUNTALA LAGURI: In these circumstances, through you, I want to urge the Government to provide telecommunication facility in the backward areas and natural calamity prone areas on a priority and within a short span of time.

श्री रिव शंकर प्रसाद: महोदया, माननीय सदस्या ने उड़ीसा के बारे में स्पेसिफिक सवाल किया है, मैं उस पूरे मामले की जांच करूंगा। ...(व्यवधान) मैंने सारे पदाधिकारियों को कहा है कि एम.पी. से संपर्क करें। ...(व्यवधान) इंप्रूव करें और इस दिशा में जो भी उचित कार्यवाही होगी, हम अवश्य करेंगे, तािक आपकी चिंताओं का निराकरण हो। ...(व्यवधान)

## **11.12 hours**

(At this stage, Shri Gaurav Gogai and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table)

SHRI V. ELUMALAI: Madam, increase in the tele-density in the rural areas is far behind the increase in the urban areas of the country. It is nowhere near to it. One of the reasons for the same is that rural people are not able to provide rental, which is being charged. I am confident that if BSNL accede to the proposal of rental-free phones in rural areas, I have no doubt that it can attain the target fixed by it, that is, achieving Rs.48,000 crore. Hence, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering to make rental-free phones in the rural areas.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, hon. Member is very right. As I said in reply to my first question, as of now about 55.5 thousand villages are not covered. We have made three-prong attempt to cover that. First is in the North-East area, for which a proposal has been approved; work is going on. Second is the Maoist-infested area. About the Himalayan areas and border areas, we have the DPR under preparation. I have told the BSNL that for the rest of the areas, come with an action plan in three months time. Therefore, though 90.69 per cent villages

\_

<sup>\*</sup> English translation of the Speech originally delivered in Oriya.

are covered, I have very clearly told the officials to make a specific plan even for the Maoist infested areas. As the hon. Member rightly said, it should be our endeavour to ensure connectivity in every place, which is what they are doing.

कर्नल सोनाराम चौधरी: मैडम, मैं बाड़मेर-जैसलमेर जिले से आता हूँ, जिसका एरिया करीब 60 हज़ार स्क्वेयर किलोमीटर है। ...(व्यवधान) 30500 गांव हैं, 15000 ढांड़िया हैं। ...(व्यवधान) वहां पर अभी भी करीब 40 प्रतिशत ऐसा एरिया है, जहां पर कोई कवरेज नहीं है। ...(व्यवधान) हालांकि वहां एयरटेल, वोडाफोन और रिलायंस आया है...(व्यवधान) मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि वहां अभी भी बहुत समस्याएं हैं। हालांकि मंत्री जी ने हम को 44 डीटीएच दिए हैं, लेकिन वह ऊंटे के मुंह में जीरे के बराबर है...(व्यवधान) मेरा बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है, इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हमको और डीटीएच देंगे?...(व्यवधान) इसके अलावा लैण्डलाइन नहीं है, वहां नई एक्सचैंज खोल कर के लैण्डलाइन लोगों को मिल सके इसके लिए क्या कोई कार्रवाई करेंगे?...(व्यवधान)

श्री रिव शंकर प्रसाद: अध्यक्ष जी, माननीय सांसद बहुत ही विरिष्ठ सांसद हैं। वह एक स्ट्रैटिजिक इलाके से आते हैं जो कि बॉर्डर का क्षेत्र है...(व्यवधान) उन्होंने अपनी चिंता मुझे भी बतायी है और मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने बताया कि काफी कार्रवाई की गयी है...(व्यवधान) बॉर्डर एरिया के लिए विशेष योजना बन रही है, मैं विभाग के लोगों को कहूंगा कि आपका क्षेत्र बॉर्डर का क्षेत्र है और बड़ा क्षेत्र है, उसकी विशेष चिंता की जाए, यह मैं अवश्य आपसे कहना चाहूंगा।...(व्यवधान)

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO: Madam Speaker, tele-density all over India is definitely up to the mark, but compared to the urban areas, tele-density in the rural areas and that too in the tribal areas is not sufficient.... (Interruptions) For example, in Pune District of Maharashtra, a majority of the population is from tribal communities. ... (Interruptions) So, for the last two years we have been demanding a BTS mobile tower in Pune District, particularly in the tribal areas. ... (Interruptions) We have been informed by the GM of Pune Circle that 200 towers have been sanctioned. ... (Interruptions) But till now there is no concrete plan for that and there is no mobile tower installed particularly in the rural part of Pune District. ... (Interruptions) So, I would like to know from the hon. Minister whether he has any plan to sanction additional BTS towers in Maharashtra and Goa Cicle and that too in Pune District.... (Interruptions)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, I would like to inform the hon. Member that tele-density in India as far as urban areas is concerned is now close to 150 per cent plus. ... (Interruptions) In the rural areas also it is spreading very fast. ... (Interruptions) We need to push that. He has mentioned a specific case of Pune. ... (Interruptions) I will surely look into it. ... (Interruptions) I would just like to inform this House that BSNL, till now, have installed nearly 20,000 towers in the country. ... (Interruptions) About 5,000 more towers are required to be installed. ... (Interruptions) Surely our commitment is to cover the uncovered areas. ... (Interruptions) With regard to the rural areas of Pune District, I will look into the matter. ... (Interruptions) I will tell the GM to be in touch with the hon. Member. Whatever is required to be done, we will do it.... (Interruptions)

#### (Q.342)

SHRI K.R.P. PRABAKARAN: Madam Speaker, our hon. Leader Dr. *Puratchi Thalaivi Amma* has started an Integrated Urban Development Scheme at a cost of Rs. 6,653 crore with an aim to improve basic infrastructure facilities in cities and urban areas in the State of Tamil Nadu. ... (*Interruptions*) Under this scheme, basic infrastructure, including drinking water, sewage water removal, health, roads and streets, solid waste management, parking facilities and parks will be improved in corporations and townships.... (*Interruptions*)

Madam, I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any plan to start this type of a comprehensive scheme as a model scheme across the nation for the benefit of the people in urban areas.... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam Speaker, the hon. Member's question is not directly related to the main question. ... (*Interruptions*) So I do not have the information.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do you have a second supplementary? But it should be on the main question only.

... (*Interruptions*)

SHRI K.R.P. PRABAKARAN: No Madam, I do not have second supplementary. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Jyotiraditya M. Scindia is not asking supplementary.

... (*Interruptions*)

श्री रमेश विध्रुड़ी: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि दिल्ली में जो ट्रेफिक की स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए मेट्रो रेल का फेज-4 दिल्ली में चालू होना है। ...(व्यवधान) लेकिन वह पिछले तीन वर्ष से पैंडिंग है। ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने अपने स्टाफ से भी कहा था और मुझे छः महीने का आश्वासन आज से एक साल पहले दिया था। ...(व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं कि फेज-4 की मेट्रो को माननीय मंत्री जी कब से शुरू करवाने जा रहे हैं क्योंकि बदरपुर से महरौली की 20

किलोमीटर की लाइन है, जहां तीन-तीन घंटे जाम लगता है और सात विधानसभा को यह रोड कनेक्ट करता है। मेट्रो के इस फेज-4 को माननीय मंत्री जी कब तक शुरू करवाने जा रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकेया नायडू: महोदया, माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिले थे और अपने क्षेत्र के बारे में, वहाँ की स्थिति के बारे में मुझे अवगत कराया।...(व्यवधान) मैंने सम्बन्धित अधिकारियों को कहा कि उसके बारे में अध्ययन करके जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए।...(व्यवधान) स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक इसका अप्रूवल नहीं दिया है।...(व्यवधान) यह दिल्ली गवर्नमेंट के पास पेन्डिंग में है।...(व्यवधान) जैसे ही वहाँ से आएगा, मैं जरूर उस पर ध्यान दूँगा और पॉजिटिवली कंसीडर करूँगा।...(व्यवधान) साथ ही साथ दिल्ली शहर में ट्रैफिक डीकन्जेस्ट करने के लिए, इस बीच में हमने 3,125 करोड़ रूपया, जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है,...(व्यवधान) डीडीए, दिल्ली सरकार और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने आपस में बातचीत करके हमने घोषणा की है कि 3,125 करोड़ रूपया दिल्ली शहर में कन्जेशन कम करने के लिए खर्च होगा।...(व्यवधान)

श्री बलभद्र माझी: महोदया, आज के दिन में शहर में कन्जेशन होने का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि गाँव से शहर की ओर पलायन हो रहा है।...(व्यवधान) हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी की घोषणा की है।...(व्यवधान) उसी तर्ज पर कुछ स्मार्ट विलेज भी बनाए जाएं और वहाँ इंडस्ट्री भी लगाई जाए, रोजगार का भी अवसर दिया जाए ताकि सभी शहर की ओर न भागकर गाँव की ओर भागें।...(व्यवधान) धन्यवाद।...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: महोदया, यह तो केवल सुझाव है और स्मार्ट विलेज भी बनना चाहिए।...(व्यवधान) इसके लिए कुछ क्लस्टर्स का भी चयन हो रहा है।...(व्यवधान) ग्रामीण विकास मंत्रालय उस ओर ध्यान दे रहा है।...(व्यवधान) मैं शहरी विकास मंत्री हूँ।...(व्यवधान) जो माननीय सदस्य ने कहा है, वह अच्छा सुझाव है मगर उसके बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या कर रहा है, वह जानकारी लेने के बाद ही मालूम पड़ेगा।...(व्यवधान) मैं उनसे पूछुँगा।...(व्यवधान)

श्री रत्न लाल कटारिया: महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जो बड़े-बड़े शहरों की भीड़-भाड़ है, उसको केवल यातायात से न जोड़कर क्या मंत्रालय कोई ऐसी योजना बना रहा है कि शहरी भीड़ को कम करने के लिए एनसीआर से बाहर 200-200 किलोमीटर तक जो छोटे शहर पड़ते हैं, उनमें वे सभी शहरी सुविधाएं प्रदान करके एक ऐसा ढाँचा खड़ा किया जाए ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या को वहाँ स्थापित किया जाए।...(व्यवधान) उन छोटे-छोटे शहरों का विकास करने की योजना

सरकार द्वारा बनाई जाए।...(व्यवधान) इस दिशा में आदरणीय मंत्री जी ने एक महत्वाकांक्षी योजना भी बनाई है।...(व्यवधान) क्या उस योजना का खुलासा इस महान सदन में आदरणीय मंत्री जी करेंगे?...(व्यवधान) श्री एम. वैंकैय्या नायडू: महोदया, ये सब सुझाव हैं।...(व्यवधान) शहरों को डीकन्जेस्ट करने के लिए, शहरों के बगल में, आसपास में एक सैटेलाइट टाउन निर्माण करने के लिए भी हमने स्टेट्स को सुझाव दिया है।...(व्यवधान) यह सैटेलाइट शहर का प्रस्ताव प्रदेश सरकार की तरफ से आना चाहिए।...(व्यवधान) इसका कारण यह है कि अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन इलाके में डीकन्जेशन आदि करना स्टेट गवर्नमेंट का विषय है।...(व्यवधान) किसी स्टेट से कोई स्पेसिफिक प्रस्ताव आएगा तो उसका हम अध्ययन करेंगे और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में जो-जो अवलेबल प्रोविजन्स हैं, उस हिसाब से हम स्टेट्स को मदद कर सकते हैं।...(व्यवधान) मगर इन प्रिन्सिपल शहरों के बगल में सैटेलाइट टाउन्स निर्माण करने में केन्द्र सरकार मदद करती है।...(व्यवधान)

SHRI K. ASHOK KUMAR: Hon. Speaker, Madam, the success of metro rail project in Delhi and in other parts of the country generates much interest in many other States. ... (*Interruptions*) Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering coming out with a uniform policy about the approval of metro rail project in the country. ... (*Interruptions*) I would also like to know whether the Government now has taken any decision to approve the extension of the Chennai Metro Rail Project. ... (*Interruptions*) Thank you, Madam. ... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The Metro Rail Project is being implemented in partnership with the States. ... (*Interruptions*) The State proposes; the Central Government examines it and then, together, we approve the project. ... (*Interruptions*) That is what is happening across the country. ... (*Interruptions*) There is a broad, uniform parameter. ... (*Interruptions*) Cities which are having 20 lakh and above population, they are considered for taking up metro projects.

As far as the Chennai Metro Rail is concerned, recently I have been in Chennai and met the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Madam Jayalalithaaji. ... (*Interruptions*) She has suggested expansion of Metro Phase-I in Chennai from Washermanpet to Wimco Nagar.... (*Interruptions*) I have given an assurance that

it will be considered positively. The Urban Development Ministry, Government of India has given its approval for the extension of Metro Rail Phase-I in Chennai.... (*Interruptions*) But the matter has gone to PIB and the PIB Meeting is likely to be held on 6<sup>th</sup> January wherein they will be considering this proposal. ... (*Interruptions*)

## (Q.343)

श्री सुमेधानन्द सरस्वती: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने विस्तार से प्रश्न का उत्तर दिया है। विकास दर के हिसाब से हमारा देश विश्व में सबसे तीव्र गित से विकास करने वाले देशों में अग्रणी है। अंतरिक्ष क्षेत्र में हम नये आयाम स्थापित कर रहे हैं। इसी वर्ष भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों के उपग्रह छोड़े हैं। हमारा मंगलयान अभियान अति सफल रहा है। सरकार अपनी परिकल्पना 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। सरकार को मेरी शुभकामनाएँ हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राजस्थान सहित कम आय वाले भारत के आठ राज्यों में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन द्वारा शुरू किए गए नए घटक निजी निवेश विकास पहल, पी.एस.डी.आई. के अंतर्गत राजस्थान में कितनी धनराशि अब तक निवेश की गई है, एवं यह धनराशि किन किन क्षेत्रों में निवेश की गई है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न किया है, मैं बता दूँ कि यह प्राइवेट सैक्टर डैवलपमैंट इनीशियेटिव एक नया इनीशियेटिव है। आज से पहले केवल फिनैंशियल एड और टैक्निकल असिस्टैंस होता था, इसलिए अभी इसमें निवेश किया जाना अपेक्षित है। निवेश होगा। जो आठ राज्य हैं, उसमें राजस्थान शामिल है, लेकिन चूँकि यह प्राइवेट सैक्टर डैवलपमैंट इनीशियेटिव एक नयी पहल है, इसलिए इसमें निवेश होगा।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती: अध्यक्ष महोदया, भारत अब ब्रिटेन से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करेगा, बिल्क भारत को ब्रिटेन कौशल एवं तकनीकी क्षेत्र में भी सहायता प्रदान करेगा। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेज़ी से विश्व पटल पर उभर रहा है। जब नेपाल में भूकंप से भारी तबाही हुई तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने नेपाल को उसी प्रकार की मदद पहुँचाई जैसे भूकंप भारत में ही आया हो। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या भारत विभिन्न देशों विशेषकर सार्क देशों को कोई वित्तीय या तकनीक आदि की मदद प्रदान कर रहा है? यदि कर रहा है, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, मुझे आपके माध्यम से माननीय सांसद और इस सदन को बताते हुए खुशी है कि सार्क के देशों में से, खास तौर पर नेपाल और भूटान को हम बहुत बड़ी ग्रांट दे रहे हैं। बाकी जो सार्क के देश हैं, उनके साथ भी हम लोगों को वित्तीय सहायता देने के अनुबंध किए गए हैं। लेकिन जो तकनीकी चीज़ की बात आपने की, मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने सार्क

सिमट में सार्क सैटेलाइट बनाने का उनको एक प्रस्ताव दिया है कि हम लोग एक सार्क सैटेलाइट बनाएँ जिसको भारत से छोड़ा जाए। तो यह बहुत बड़ी तकनीकी सहायता देने की बात भी उन्होंने की है।

PROF. SUGATA BOSE: Thank you Madam Speaker. Sixty-eight years after independence, we should not be too worried whether development assistance from Britain is declining slightly.... (*Interruptions*)

The hon. External Affairs Minister has explained that there is a shift from financial grant to technical assistance. ... (*Interruptions*) Will the hon. External Affairs Minister agree with me that it is far more important to focus on trade and investment rather than aid? In relation to G-20 countries, we know that the United Kingdom is our largest bilateral investor.... (*Interruptions*) They have invested in the Mumbai-Bengaluru Corridor for example. Today, our hon. Prime Minister will be going to Russia where he will be seeking investment from Russia in helping building our infrastructure.... (*Interruptions*) So, I would like to ask the hon. External Affairs Minister what the prospects are for future investment by the United Kingdom in our infrastructure needs in relation to other important G20 countries like United States, Japan and Russia. Thank you very much.

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्षा जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सांसद को यह बता दूं कि हम ब्रिटेन की एड खत्म होने से बिल्कुल चिन्तित नहीं हैं, बिल्क खुश हैं और खुश इसिलए हैं कि इस एड का खत्म होना ब्रिटेन द्वारा हमारी आर्थिक शक्ति को स्वीकार किया जाना है। एक बात मैं आपको बताऊं, 09.11.2012 को यह घोषणा की गई थी, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि हम एड खत्म कर रहे हैं और टैक्नीकल असिस्टेंस शुरू कर रहे हैं, मैं उसका एक पैरा पढ़कर बताती हूं कि क्यों किया था। 09.11.2012 को हाउस ऑफ कामंस में बोलते हुए कहा गया था:

"These changes reflect India's rapid growth and development progress in the last decade. India's growing ability to finance its own development programmes means that the time has now come to end the UK's financial grant support, the growing two-way trade and investment between our two countries means that our development partnership should increasingly be about trade not aid."

हमारी आर्थिक शक्ति को ब्रिटेन ने स्वीकारा है और यह कहा है कि हम एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, इसलिए अब इन्हें एड देने की जरूरत नहीं है तो हम चिन्तित नहीं हैं। जो आपने इन्वैस्टमेंट की

बात कही, वह बिल्कुल सही सवाल है। लेकिन मैं सदन को फिर एक खुशखबरी देना चाहती हूं कि अभी जो प्रधानमंत्री जी की यू.के. विजिट हुई थी, ब्रिटेन की यात्रा हुई थी, उसमें भारत ने रुपी में बॉण्ड वहां शुरू किये हैं। यह पहली बार है कि किसी दूसरे देश में केवल अपने बॉण्ड्स नहीं, बल्कि हमारी करेंसी में हमने बॉण्ड शुरू किये हैं। जिसमें इण्डियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन (IRFC) और एन.टी.पी.सी. के ये बॉण्ड्स लगभग फरवरी, 2016 में शुरू हो जाएंगे तो इन्वैस्टमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत पैसा वहां से आने की उम्मीद है। मैं सांसद को बताना चाहती हूं।

श्री अजय मिश्रा टेनी: माननीय अध्यक्षा जी, जो मुझे लिखित उत्तर देखने को मिला है और जो मेरी जानकारी है, उसके अनुसार वित्तीय अनुदान परियोजनाएं 2015 तक पूरी कर ली जाएंगी तथा देश के आठ निम्न आय वाले जो राज्य थे, उसमें निजी निवेश की तकनीक तो जारी रहेगी, लेकिन जो अभी पहले से 26 ऐसी योजनाएं चल रही थीं, जिनसे केवल चार राज्य उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल थे। उत्तर प्रदेश भी एक निम्न आय वाला राज्य है। उसके साथ-साथ झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र है। लेकिन इन योजनाओं में चार प्रदेशों में काम नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में तो काम हुआ, लेकिन शेष चार राज्यों में शिक्षा और शहरी विकास के कोई कार्य इस योजना में नहीं किये गये, उत्तर में यह नहीं दिखाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव न देने के कारण ऐसा हुआ है या काम हुआ है। अगर काम हुआ है तो चार राज्यों में भी कौन-कौन से कार्य और कितना वित्तीय संसाधन इनमें उपयोग किया गया है, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्षा जी, जहां तक इन 26 परियोजनाओं का सवाल है, टेक्नीकल असिस्टेंस और फाइनेंशियल एड दोनों को मिलाकर इन 26 परियोजनाओं का मैंने ब्यौरा दिया है। ये जो आठ राज्य हैं, इनमें उत्तर प्रदेश शामिल है। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। इन 26 परियोजनाओं की सूची आप कहेंगी तो मैं सदन के पटल पर रख दूंगी। इन 26 परियोजनाओं में जो-जो परियोजनाएं जिस-जिस प्रदेश में दी गई हैं, वह भी उसमें है। वह पूरा ब्यौरा मैं आपके आदेश से सदन के पटल पर रख दूंगी, क्योंकि अगर मैं उन 26 को यहां पढ़ने लगूंगी तो समय बहुत लग जायेगा, लेकिन वह ब्यौरा मेरे पास है। 26 की 26 परियोजनाएं और एक-एक परियोजना किस-किस प्रदेश में कितनी-कितनी है, यह ब्यौरा मेरे पास है। आप कहेंगी तो मैं आज ही इसको सदन के पटल पर रख दूंगी। माननीय सांसद उसे देख सकते हैं।

#### (Q.344)

श्री निशिकान्त दुवे : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने जिस स्थिति में रेल मंत्रालय का भार संभाला, उस समय देश की हालत बहुत खराब थी।...(व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी रेल को ठीक करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं।...(व्यवधान) इन्होंने 87 वर्कशॉप्स की लिस्ट दी है। इन 87 वर्कशॉप्स के साथ-साथ कायदे से 366 सेट्स और 6 प्रोडक्शन यूनिट्स रेलवे के पास मौज़ूद हैं।...(व्यवधान) आज के दिन में इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है, वह यह है कि उसकी लेबर फोर्स को पूरा काम ये मॉडर्नाइजेशन यूनिटस नहीं दे पा रही हैं।...(व्यवधान) दूसरा, जो मॉडर्नाइजेशन है, उसके लिए रेलवे इक्विप्मेंट्स तो खरीद लेती है, लेकिन उसका प्रॉपर यूटीलाइजेशन कैसे होगा, उसका यूज कैसे होगा, यह भी रेलवे नहीं करती है और इसके बारे में लगातार कमेटियां बनती रही हैं।...(व्यवधान) अगर मैं इनका ज़िक्र करूं, तो वर्ष 1969 की जो मियांवाला रिकमेंडेशन है, वह आज तक लागू नहीं हो पाई है।...(व्यवधान) वर्ष 1968 की जो सिकरी कमेटी थी, उसके रिकमेंडेशंस लागू नहीं हुए।...(व्यवधान) उसके बाद सैम पित्रोदा कमेटी और खन्ना कमेटी बनी।...(व्यवधान) लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह यह है कि वर्ष 1997-98 में रेलवे की स्टैण्डिंग कमेटी ने एक रिकमेंडेशन किया और कहा कि इसके आधार पर काम करिए।...(व्यवधान) लेकिन, इसके बावज़ूद भी वर्ष 2007 से वर्ष 2012 तक की वर्कशॉप्स की जो लिस्ट हमारे पास है, वहां 10,420 एक्सीडेंट्स हुए और उसमें 9,747 कर्मचारी इंजर्ड हुए।...(व्यवधान) उनमें 49 डेथ हुई और उसमें से 11 वेस्टर्न रेलवे के थे, जिस पर माननीय मंत्री जी का पूरा झुकाव रहा है।...(व्यवधान) उसी तरह से, प्रोडक्शन यूनिटस में 775 एक्सीडेंटस हुए।...(व्यवधान) मेरा यह कहना है कि वर्कर्स को जो पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेज यूज़ करना है और जिस तरीके से यह पूरा जो वर्कशॉप है, अब यह एक रिहायशी एरिया में आ गया है।...(व्यवधान) इस तरह के मैकेनिज्म को रोकने के लिए जो विभिन्न कमेटियां बनी हैं, उसके आधार पर रेलवे ने क्या प्लान बनाया है, क्योंकि 10,000 एक्सीडेंट्स होना अपने आप में बहुत खतरनाक है?...(व्यवधान)

श्री सुरेश प्रभु: मैडम, मैं सम्माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि वर्कशॉप्स को मॉडर्नाइज कैसे करना चाहिए।...(व्यवधान) वर्कशॉप्स की मॉडर्नाइजेशन की जो प्रक्रिया है, उसमें दो तरीके की चीज़ें आती हैं।...(व्यवधान) एक बात तो यह है कि मैनेजेरिएल प्रैक्टिसेज़ किस तरीके से चेंज किए जाएं?...(व्यवधान) उसमें किस तरीके से बदलाव लाया जाए?...(व्यवधान) दूसरी बात यह है कि जो तकनीकी ज्ञान आज हमारे देश में है या विश्व में जो उससे अच्छा तकनीकी ज्ञान है, उसे हमारी आज की वर्कशॉप्स में कैसे लाया जाए?...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि

उसका एक्सीडेंट्स से कोई ताल्लुक नहीं है।...(व्यवधान) आपने जो कहा, वह बात अलग है।...(व्यवधान) हमने जो सबसे पहले तय किया, वह यह है कि हमारे देश में प्रयोग होने वाली जो चीज़ हैं, वे सब ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में ही बनें।...(व्यवधान) जैसा हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक मिशन 'मेक-इन-इंडिया' बनाया है, उसके तहत यह है कि रेलवे में जिन चीज़ों का सबसे ज्यादा आयात किया जाता है, उसे किस तरह से अपने देश में बनाया जाए और बाद में उसे निर्यात भी किया जाए।...(व्यवधान) यह करने के लिए एक चीज़ सबसे ज्यादा आवश्यक होगी कि हमें हमारी टेक्नॉलोजी की ग्लोबल बेंचमार्किंग करनी पड़ेगी।...(व्यवधान) जब तक हम हमारी टेक्नॉलोजी की ग्लोबल बेंचमार्किंग नहीं करेंगे, तब तक न तो हमारे देश में ग्लोबल लेवल की टेक्नॉलोजी आएगी और न ही हम उसे विदेशों में निर्यात कर पाएंगे।...(व्यवधान) उसे करने के लिए हमने ग्लोबल बेंचमार्किंग का काम भी शुरू कर दिया।...(व्यवधान) दूसरी बात, इसे करने के लिए हमारी टेक्नॉलोजी अपग्रेड नहीं हो पाएगी, जब तक कि विदेश में, जहां सबसे अच्छी टेक्नॉलोजी है, उसके साथ हम कोलेबोरेशन न करें।...(व्यवधान)

अभी हमारे प्रधान मंत्री जी ने जापान के प्रधान मंत्री जी के साथ वार्ता में हमारी जो आर.डी.एस.ओ. नामक रिसर्च ऑरगेनाइजेशन है, उसका वहां के रिसर्च ऑरगेनाइजेशन के साथ टाइ-अप किया है, जिसके आधार पर हमारी टेक्नॉलोजी जापानी टेक्नॉलोजी की तरह होगी और हमारे देश में जो हादसे होते हैं, उसे रोकने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि सबसे कम हादसे जापान में होते हैं।...(व्यवधान) इसीलिए, हमारा जापान के साथ जो एग्रीमेंट बना है, वह सिर्फ एक बुलेट ट्रेन तक सीमित नहीं है, हम पूरे जापान की टेक्नॉलोजी, जापान की सेफ्टी अपने देश में लाना चाह रहे हैं।...(व्यवधान) इसके लिए हमारी कोशिश जारी है।...(व्यवधान) इसके साथ ही हमने दूसरे देशों के साथ, जैसे कोरिया के साथ हमने रिसर्च डेवलपलमेंट आर्गनाइजेशन के साथ में टाईअप किया है। मुझे कहते हुए खुशी है कि हर वर्कशाप को मॉडल बनाने के लिए हमारे जो डॉक्टर सारस्वत नीति आयोग में हैं, मैं मानता हूं कि वह देश के एक बहुत ही प्रख्यात वैज्ञानिक भी हैं। ...(व्यवधान) उनके साथ मिलकर हमारी पूरी वर्कशाप की टीम काम करने जा रही है। ...(व्यवधान) में कहना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द हम ई.आर.पी. को लाकर भी इसे पूरी तरह से लाने में कामयाब रहेंगे। ...(व्यवधान) हर वर्कशाप के मार्डनाइजेशन का एक प्लान बनाया जा रहा है। ...(व्यवधान) मैं विश्वास रखता हूं कि आगे आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। ...(व्यवधान) हमारे वर्कशाप काम के लिए चलेंगे लेकिन उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी किस तरह से बनाया जाए, इसके ऊपर भी हमने काम करने की शुरुआत की है। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे : महोदया, मंत्री जी ने डिटेल्ड जवाब दिया। ...(व्यवधान) हमारी सरकार निश्चित तौर पर काम कर रही है। ...(व्यवधान) सीएजी की रिपोर्ट वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनने के पहले आई। ...(व्यवधान) उसने कहा है कि रेलवे बोर्ड समय-समय पर गाइडलाइन जारी करता है। ...(व्यवधान) जो obligation of Consent to Establishment (CTE) and Consent for Operation है, सेंद्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड से वर्कशाप को या प्रोडक्शन यूनिट को जो कन्करेंस आई है, 88 पर्सेंट और 68 पर्सेंट सीटीई और सीएफओ में नहीं लिया गया है। ...(व्यवधान) उसी तरह से जो डिसचार्जिंग ऑफ एन्वायर्नमेंट मैटेरियल है, उसमें 99 पर्सेंट केसेज में इस तरह की कोई जानकारी ली गई है, कोई क्लियरेंस नहीं ली गई है। ...(व्यवधान) उसी तरह से आईएसओ सर्टिफिकेशन है, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है। ...(व्यवधान) में सीएजी की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं। ...(व्यवधान) वर्ल्ड क्लास यदि बनाना है ...(व्यवधान) आईएसओ के ही सर्टिफिकेशन 22 पर्सेंट में ही केवल वर्कशाप और शेड्स में लिए गए हैं। ...(व्यवधान) उसी तरह से रिन्युएबल एनर्जी जिसका यूज मंत्री जी करना चाहते हैं, मैं सीएजी रिपोर्ट के संबंध में कह रहा हूं कि वर्ल्ड क्लास कैसे बनना चाहेंगे? इसी तरह से जो मेडिकल यूनिट्स हैं, 89 पर्सेंट जगह पर मेडिकल यूनिट्स वर्कशाप में काम नहीं करती हैं। ...(व्यवधान) जब इस सिचुएशन में आप रेलवे को लाए हैं तो किस तरह से वर्ल्ड क्लास आप बनाएंगे? ...(व्यवधान) सीएजी रिपोर्ट के आधार पर आप यदि देश को बताएंगे तो अच्छा होगा। ...(व्यवधान)

श्री सुरेश प्रभु: महोदया, वर्ष 2014 की जो सीएजी की रिपोर्ट है, हमारी सरकार बनने के पहले जो आई थी, उसको हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट करने के लिए जितनी भी हमारी वर्कशाप्स हैं, उनको आदेश पहले ही दे चुके हैं। ...(व्यवधान) उनको कहा गया है, क्योंकि यह लोकलाइज ईश्यू है। ...(व्यवधान) एन्वायर्नमेंट क्लियरेंस लेना है या नहीं लेना है, यह तो वर्कशाप के मैनेजर की रिस्पांसिबलिटी होती है। ...(व्यवधान) उन्होंने अभी तक क्या किया, उसके लिए भी ऑनलाइन प्रोसेस चलती है। ...(व्यवधान) मेंबर मैकेनिकल जो बहुत सारे वर्कशाप्स के इंचार्ज हैं, मेंबर इलेक्ट्रिकल और कुछ वर्कशाप्स के इंचार्ज हैं, उनको भी हमने कह दिया है कि उनकी एक जिम्मेदारी है, पर्सनल रिस्पांसिबलिटी है कि सब जगह पर जो भी रेग्युलेशंस हैं, रूल्स हैं, उनका पूरी तरह से पालन करना उनकी जिम्मेदारी है और ऐसा करने के लिए उनको आदेश भी दे दिया है। ...(व्यवधान)

श्री एस.एस.अहलुवालिया: महोदया, इन्होंने जो वर्कशाप्स की लिस्ट दी है, उसमें नार्दन फ्रंटियर, एनएफ रेलवेज के जो 6 वर्कशाप्स के नाम देने की बात कही है, उसमें हमारे इलाके का एक वर्कशाप तीनधारिया है। ...(व्यवधान) यहां पर दार्जिलिंग हिमालयन रेल, हैरिटेज रेलवेज चलती है। ...(व्यवधान) उस तीनधारिया

वर्कशाप के बारे में बार-बार मंत्री जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि उसका अपग्रेडेशन हो। ...(व्यवधान) एक सौ से ज्यादा साल उस लाइन को हो गए। ...(व्यवधान) यूनीसेफ ने उसको हैरिटेज रेल डिक्लेयर किया है।...(व्यवधान) उसकी साइनिंग सैरेमनी होने वाली है।...(व्यवधान) साइनिंग सैरेमनी से विश्व में यह जाना जाएगा कि एक मीटर की रेलवे लाइन पर हिलकार्ट रोड पर सिलीगुड़ी से या न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग जाती है। ...(व्यवधान) उस तीनधारिया वर्कशाप के बारे में उल्लेख नहीं है। ...(व्यवधान) तीनधारिया वर्कशाप को कब अपग्रेड करेंगे? कृपया यह बताने की कृपा करें। ...(व्यवधान)

श्री सुरेश प्रभु : महोदया, मैं सम्मानीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि यह यूनीसेफ नहीं यूनेस्को है। ...(व्यवधान) यूनीसेफ बच्चों के लिए काम करती है और यूनेस्को कल्चरल हैरिटेज के लिए काम करती है। ...(व्यवधान) यह बिल्कुल सही है कि हमारे पास विरासत में जो हैरिटेज है, उसमें यह एक ट्रेन है।...(व्यवधान) इसके वर्कशाप के लिए जो पर्याप्त मात्रा में इनपुट देने की जरूरत है, वह हम दे रहे हैं। ...(व्यवधान) यदि कुछ जरूरत होगी, तो और भी देंगे। ...(व्यवधान)

SHRI B. VINOD KUMAR: The main question is on modernization of railway workshops. My question is on coaches and wagons manufacturing units. It is a small supplementary. The Andhra Pradesh State Reorganization Act has assured a coach and wagon factory with the State of Telangana. I would like to know from the hon. Minister whether they are going to take initiative in establishing such unit. ... (*Interruptions*)

SHRI SURESH PRABHU: Madam, very recently the hon. Deputy Chief Minister of Telangana met me. I have already told him that we are evaluating the position of total requirement of wagons in the country and total capacity of these workshops to produce them. If necessary and if it is really desirable, we will definitely do it. Telangana is one of the very important States. We consider its development our responsibility. But depending upon the availability and the demand supply situation, we will take a call.... (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Madam, in the upgradation of workshops the South Western Railway, Hubli is also enlisted in the hon. Minister's reply. The Government is aware that there is a growing demand for trains from all over the country and there is a constraint of rolling stocks. The Hubli workshop is the rolling stock workshop. Though the upgradation has been announced, number one, it is going in a very slow phase; two, a lot of work is outsourced.

In comparison to the manpower, the workload in Hubli workshop is too less and still the work is outsourced. For example, at present, Hubli workshop is manufacturing 61 brake vans whereas its capacity is of manufacturing 100 units. Still the orders are not being given. If the workshop is upgraded further, they can manufacture wagons and bogies as well. I would like to know from the hon. Minister through you, Madam, whether there is any plan with the Ministry to upgrade it further because it is more than hundred year old workshop.

SHRI SURESH PRABHU: Madam, we consider upgradation and modernization depending upon the needs. We will definitely look into this. It is a hundred years old workshop. Obviously, it is one of the very ancient traditions of Indian Railways. So, we will take it forward.

## (Q.345)

श्री सुशील कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पेसिफिक है।...(व्यवधान) मैंने प्रश्न Hydro based incombustion Engine and such type of products के विषय में पूछा है कि इनके विकास और इनके इनोवेशन के लिए, इस टाइप के आविष्कारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करने जा रही है?...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने जवाब में योजनाओं के विषय में बताया है और यह कहा है कि पीपीपी मोड पर ऐसी योजना है।...(व्यवधान) मेरा स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि इस तरह के जो आविष्कार हैं या जो इनोवेशन देश में हो रहे हैं...(व्यवधान) मेरे पास इसका उदाहरण है।...(व्यवधान) एक बिल्कुल गरीब घर का लड़का, जो बी.टेक इंजीनियरिंग का छात्र है ...(व्यवधान) वह हमारे बिहार का ही लड़का राणा तेजस्वी है।...(व्यवधान) उसने बिना पेट्रोल, बिना डीजल, बिना गैस के एक ऐसे इंजन का आविष्कार किया है।...(व्यवधान) एक मंगल सिंह हैं, जिन्होंने तीस वर्ष पहले एक टर्बाइन का आविष्कार किया है जो पानी से चलने वाला है...(व्यवधान) यह सारी जगहों से प्रमाणित है।...(व्यवधान) इसे आईआईटी और कपाट ने प्रमाणित किया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कृपया आप प्रश्न जल्दी पूछिए।

# ...(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस तरह के जो आविष्कार देश में हो रहे हैं, जो इस तरह के इनोवेशंस हैं, उनको फाइनैंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है।...(व्यवधान) उनके लिए इन्होंने अभी तक ऐसी कौन-सी व्यवस्था बनायी है, या बनाने का विचार है जिससे इस तरह के लोगों को प्रमोट किया जा सके, ताकि देश को उसका फायदा मिले?...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, यह आविष्कार से संबंधित है।...(व्यवधान) इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि इनकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पानी को इंधन के रूप में उपयोग करके या अन्य इंधन का उपयोग करके एक ऐसा यंत्र बनाया है।...(व्यवधान) इस प्रकार की चीजें इनोवेशन में आती हैं, या साइंटिफिक इनोवेशन में आती हैं, ...(व्यवधान) इनके लिए संबंधित विभाग बायोटेक्नोलॉजी है या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है।...(व्यवधान) हम लोगों ने भारत में इनोवेशन के क्षेत्र में सबंसे ज्यादा ध्यान दिया है।...(व्यवधान) हमारे मंत्रालय में एनएचडीसी के माध्यम से इनोवेशन पर ऐप्लीकेशन्स मंगाए जाते हैं, उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। लेकिन भारत सरकार के कई मंत्रालयों में इनोवेशन का काम, नीति आयोग के तहत भी एक योजना है, अटल इनोवेशन

मिशन है, उसके तहत योजना है। नीति आयोग के तहत आईआईटीज़ को भी ऐडॉप्ट करके किया गया है। जिस परीक्षण के बारे में इन्होंने कहा है, यह सीध मेरे संज्ञान में नहीं होगा, लेकिन देश के अंदर ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो इनोवेशन्स करते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में भी करते हैं, कई साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन्स में करते हैं, कई अपने आप घर में बैठकर भी छोटे इनोवेशन करते हैं। सरकार ने इनोवेशन के लिए कई स्तर के फाइनैंशियल इंसैंटिब्ज, हैंड होल्डिंग इत्यादि के पैकेजेस बनाए हैं। मैं इस विषय पर अभी इतना ही कहना चाहूंगा।

श्री सुनील कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट होते हुए यह कहना चाहूंगा कि कोई एक ऐसी संस्था हो जहां इस तरह के इनोवेशन्स को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था हो। साथ ही मैं माननीय प्रधान मंत्री जी की कौशल विकास योजना के तहत कहना चाहूंगा कि देश में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाके हैं, जैसे मैं बिहार के जिस संसदीय क्षेत्र से चुनकर आता हूं, मेरे संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद और गया दोनों जिले भयंकर रूप से नक्सल से प्रभावित हैं। वहां के नौजवान किसी कौशल तकनीक, प्रशिक्षण, रोजगार के अभाव में मुख्य धारा से भटक जाते हैं और उग्रवादी नक्सली संगठनों में जाकर मिल जाते हैं। मेरा स्पैसीफिक प्रश्न होगा कि जहां नक्सल की समस्या है, ऐसे इलाकों को चिन्हित करके वहां के युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार देने की कोई योजना इनके मंत्रालय में है या नहीं, आगे बनाएंगे या नहीं या सोच है या नहीं?

श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का प्रश्न कौशल विकास से है। देश के प्रधान मंत्री जी ने पहली बार इस मंत्रालय का गठन किया है और यह सबसे ऐम्बिशियस प्रोजैक्ट है। इसकी एक रूपरेखा तैयार करनी थी। जैसे इन्होंने लैफ्ट विंग ऐक्सट्रिमिस्ट्स डिस्ट्रिक्ट्स में कहा, हमने तय किया है कि सभी संसदीय क्षेत्र, उसके अतिरिक्त सभी जिले, लगभग साढ़े छ: सौ जिले हैं, मार्च तक ऐक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट मंगाया है। आइकॉनिक मॉडल ट्रेनिंग सैंटर्स सांसदों की देख-रेख में होगा, उसके लिए साधन उपलब्ध कराए गए हैं, उसकी स्थापना की जाएगी। इसके साथ-साथ इस देश में 2500 ऐसे ब्लॉक हैं जहां आईटीआई न निजी क्षेत्र में है और न सरकारी क्षेत्र में है। हम उसके लिए भी एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं कि देश में जिन क्षेत्रों में आईटीआईज़ नहीं हैं और हार्ड स्किल्स जैसे टर्नर, फिटर, इलैक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग होती है, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग का पूरा लैंडस्केप बनाया गया है। सॉफ्ट स्किल जिसमें अल्प अवधि में प्रिशक्षण देकर लोगों को रोजगार पहुंचा दें। सरकार का मानना है कि दस वर्ष की स्कूली शिक्षा या बारह वर्ष की स्कूली शिक्षा आवश्यक है, लेकिन वह अपने आप में रोजगार दिलाने की स्थिति में नहीं है। दस वर्ष की स्कूली शिक्षा के साथ अगर हम दस हफ्ते की ट्रेनिंग दें दें तो वह नौजवान रोजगार प्राप्त कर

सकता है। हम इस दिशा में लगभग पहुंच गए हैं। चूंकि देश में कई मानक पर प्रशिक्षण चल रहा था, उसे एकित्रित करके हमने एक योजना तैयार की है। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा पिछले वर्ष लॉन्च की गई थी। उसकी रूपरेखा में भी कुछ परिवर्तन करके, संशोधन करके तािक प्रत्येक सांसद के क्षेत्र और प्रत्येक जिले में इस प्रकार के आइकॉनिक सैंटर्स हो सकें। जो समाज का सबसे निचला व्यक्ति है, जिसकी आमदनी आज एक हजार रुपये, पन्द्रह सौ रुपये हैं, अगर हम उसे दस हफ्ते की ट्रेनिंग दे सकें तो वह एक हजार रुपये, पन्द्रह सौ रुपये की आमदनी दस हजार रुपये, पन्दह हजार रुपये में पहुंच सके, वैसा हमारा प्रयास है। इस देश में इनकी संख्या करोड़ों में है। हमारी योजनाओं का पूरी तरह चित्र बन चुका है, राशि भी उपलब्ध हो चुकी है। अब बड़े कार्यान्वयन की योजना जो माननीय सांसद कह रहे हैं, माननीय सांसद का जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, हम जो हब सैंटर्स बनाएंगे, उसके साथ प्रत्येक ब्लॉक तक छोटे-छोटे केन्द्र की स्थापना भी करेंगे। यह योजना देश के प्रधान मंत्री का सबसे ऐम्बिशियस प्रोजैक्ट है। हम इसे निश्चित रूप से देश के एक-एक कोने में पहुंचाएंगे, ऐसा हमारा मानना है।

श्री रामदास सी. तडस: अध्यक्ष महोदया, उद्यमशीलता मंत्रालय में शुरुआत से आज तक सरकार द्वारा देश में कौशल विकास के अंतर्गत आमंत्रित किए गए अनुषंगी संख्या कौशल विकास प्रशिक्षित केन्द्र की स्थापना का संघ राज्यवार ब्यौरा क्या है। सरकार द्वारा आबंटित खर्च का राज्यवार और संघ वार ब्योरा क्या है? ...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, माननीय सदस्य का सवाल सही है, हमलोगों ने स्किल सेंटर के बारे में बड़ा काम किया है, ...(व्यवधान) हमने छोटे-छोटे एनजीओ के माध्यम इसे किया है, उसकी मानकता, गुणवत्ता और ट्रेनिंग के साथ रोजगार दिलाने के लिंकेज को हम स्थापित नहीं कर पाए हैं, जिससे उसकी मोनिटिरंग हो सके, बड़े संस्थाओं से जुड़कर जो प्राइवेट क्षेत्र में है, निजी उद्योग में हैं, उनके साथ एक समेकित व्यवस्था कायम की जा रही है। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना एकत्र करके उपलब्ध करा दी जाएगी। ...(व्यवधान) देश के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र और प्रत्येक जिले में ऐसे कौशल विकास केन्द्र जिसमें सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाए ...(व्यवधान) जिसमें बच्चों को 45 दिनों से लेकर 6 महीने के भीतर छोटे कौशल ट्रेनिंग दी जाए, ...(व्यवधान) उद्योग बार-बार मांग करता है कि हमें डिग्री नहीं चाहिए, इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, हमें ऐसे नौजवान चाहिए जो उस उद्योग से संबंधित योजनाओं को समझ सकें, इसके लिए उसको प्रशिक्षण प्राप्त हो, जिससे हम उसको उद्योग में सीधे तौर पर ले सकें।...(व्यवधान)।

## (Q.346)

श्री राम चिरित्र निषाद: मैडम, पूरे शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन में मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया है। मेरा प्रश्न कॉल ड्राप से संबंधित है। ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं पहले कॉल ड्रॉप की समस्या तीन परसेंट से ज्यादा थी, इनके सख्त कदम उठाने से आज उसमें गिरावट हुई है ...(व्यवधान) आने वाले दिन में मोबाइल सर्विस प्रदान करने वाली संस्थाओं पर क्या कोई दंड देने का प्रावधान है, क्या कॉल ड्रॉप और कम होगा?

श्री रिव शंकर प्रसाद: महोदया, मैं माननीय सदस्य का अभिनंदन करना चाहता हूं, सरकार प्रधानमंत्री के निर्देश में सख्त कदम उठा रही है ...(व्यवधान) इन ऑपरेटरों ने हम लोगों के दबाव में पिछले तीन महीनों में 29,000 नए टॉवर लगाए है, दिल्ली में लगभग 2200 नए टॉवर लगाए गए हैं, मेरा विभाग हर हप्ते इसकी मोनिटरिंग करता है। ...(व्यवधान) बीएसएनएल ने लगभग 4500 नए टॉवर लगाए हैं जबकि एमटीएनएल ने दिल्ली में लगभग 28 टॉवर लगाए हैं हम इसकी मोनिटरिंग कर रहे है ...(व्यवधान) कॉल ड्रॉप में कुछ कमी आई है लेकिन इस पर और काम करने की जरूरत है ...(व्यवधान)। दंड के लिए ट्राई ने एक रेग्युलेशन बनाया है, कॉल ड्राप होने की स्थिति में उनको पैनल्टी देना पड़ेगा जिसको उन्होंने न्यायालय में चुनौती दी है, ...(व्यवधान) उसके लिए अलग से कार्रवाई होगी। मेरा विभाग ट्राई से मिलकर कॉल ड्रॉप रोकने के लिए सजग है। ...(व्यवधान) मैंने कई बार सभी प्राइवेट ऑपरेटर्स को सख्ती से कहा है कि आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, इस पर उन्हें और काम करने की आवश्यकता है और हम इसमें सफल होंगे। श्री राम चरित्र निषाद: महोदया, जिन मकानों पर टॉवर लगे हैं वहां के लोगों को यह भय है कि मोबाइल टॉवर से निकलने वाले रेडिएशन के कारण कैंसर हो सकता है, ...(व्यवधान) इस भय को दूर करने के लिए सरकार के पास क्या कोई उपाय है? पुराने टॉवर पर जहां पहले 100 लोग थे वहीं आज उस पर 1000 लोग हो गए हैं, ...(व्यवधान) क्या सरकार कोई ऐसा नया कदम उठाने जा रही है? नए टॉवरों की क्षमता बढ़ाने और कैंसर होने के डर को दूर करने के लिए कुछ उपाय है? ...(व्यवधान)

श्री रिव शंकर प्रसाद: महोदया, टॉवर से कैंसर होने का कोई आधार नहीं है, नए मोबाइल टॉवर या नए बीटीएस नहीं लगने देंगे तो कॉल ड्रॉप होगा। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि भारत में जो इसके लिए मानक है वह दुनिया के देशों से 10% अधिक है। ...(व्यवधान) यह अभियान भारत में ही क्यों होता है ...(व्यवधान) विदेशों में क्यों नहीं होता है क्योंकि यहां 98 करोड़ मोबाइल है और लगभग 4 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हैं।

जब देश आगे बढ़ रहा है, तो क्या कहीं से यह प्रायोजित हो रहा है ...(व्यवधान) इसका कोई मेडिकल आधार नहीं है। मैंने हाउस में पहले भी कहा है और आज भी कहता हूं कि अगर कोई मुझे बतायेगा कि इसका मेडिकल एवीडैंस है, तो मैं जरूर देखूंगा। ...(व्यवधान) छः-छः हाई कोर्ट्स ने केस को डिसमिस किया है। आपने जो पुराने टावर की जगह नये टावर लगाने की बात की ...(व्यवधान) नयी तकनीक हो रही है और हमने टावर शेयिंग की भी पालिसी बनायी है। ...(व्यवधान) मतलब एक टावर पर अब कई कम्पनियां अपना बीटीएस लगा सकती हैं। ...(व्यवधान) हमने यह भी निर्देश दिया है कि उन टावर्स को खूबसूरत किया जाये। ...(व्यवधान) यह सारी प्रक्रिया चल रही है और हम लोग मिलकर देश की टेली व्यवस्था को और मजबूत करें, यह हम सबका संकल्प है। ...(व्यवधान)

#### **12.00 hours**

#### PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MANOHAR PARRIKAR): Madam, I beg to lay on the Table:

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Aeronautical Development Agency, Bangalore, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
- (2) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Aeronautical Development Agency, Bangalore, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3954/16/15]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र): अध्यक्ष महोदया, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:--

- (1) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3955/16/15]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रिव शंकर प्रसाद): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:--

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (क) (एक) हेमीस्फीयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
    - (दो) हेमीस्फीयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

#### [Placed in Library, See No. LT 3956/16/15]

- (ख) (एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
  - (दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

#### [Placed in Library, See No. LT 3957/16/15]

- (ग) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
  - (दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

# [Placed in Library, See No. LT 3958/16/15]

- (2) (एक) सोसायटी फॉर एप्लायड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
  - (दो) सोसायटी फॉर एप्लायड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

# [Placed in Library, See No. LT 3959/16/15]

(3) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

#### [Placed in Library, See No. LT 3960/16/15]

- (4) (एक) नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकार्पोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
  - (दो) नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकार्पोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

#### [Placed in Library, See No. LT 3961/16/15]

- (5) (एक) सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
  - (दो) सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

#### [Placed in Library, See No. LT 3962/16/15]

- (6) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
  - (दो) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

# [Placed in Library, See No. LT 3963/16/15]

(7) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत बेसिक दूरभाष सेवा (वायरलाइन) और सेल्यूलर मोबाइल दूरभाष सेवा के गुणवत्ता मानक (चौथा संशोधन) विनियम, 2015 जो 15 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फाइल सं. 305-25/2014-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3964/16/15]

(8) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 2578(अ) जो 21 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूची में शामिल चयनित उत्पादों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी गुड्स (अनिवार्य रिजस्ट्रेशन की आवश्यकताएं) आदेश, 2012 को लागू किए जाने के आदेश विस्तार के बारे में है।
- (वं) का.आ. 2579(अ) जो 21 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूची में शामिल चयनित उत्पादों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी गुड्स (अनिवार्य रिजस्ट्रेशन की आवश्यकताएं) आदेश, 2012 को लागू किए जाने के आदेश विस्तार के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 3965/16/15]

- (9) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
  - (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3966/16/15]

23.12.2015 42

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, I beg to lay on the Table:

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for the year 2014-2015.
  - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for the year 2014-2015, together with Audit Report thereon.
  - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3967/16/15]

- (2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
  - (i) Review by the Government of the working of the HLL Biotech Limited, Kerala, for the year 2014-2015.
  - (ii) Annual Report of the HLL Biotech Limited, Kerala, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3968/16/15]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Biologicals, Noida, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Biologicals, Noida, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3969/16/15]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Institute for Population Sciences, Mumbai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the International Institute for Population Sciences, Mumbai, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3970/16/15]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Nursing Council, New Delhi, for the year 2014-2015.
  - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Nursing Council, New Delhi, for the year 2014-2015, together with Audit Report thereon.
  - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Nursing Council, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3971/16/15]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pasteur Institute of India, Coonoor, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pasteur Institute of India, Coonoor, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3972/16/15]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jansankhya Sthirata Kosh, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jansankhya Sthirata Kosh, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3973/16/15]

- (8) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Reports and Audited Accounts of the following institutions within the stipulated period of nine months after the close of the accounting year 2014-2015:-
  - (i) National Board of Examination.
  - (ii) Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh.
  - (iii) Dental Council of India, New Delhi.
    - (iv) Medical Council of India, New Delhi.
    - (v) National Academy of Medical Sciences, Delhi.
    - (vi) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.
  - (vii) Indian Red Cross Society, New Delhi.
  - (viii) JIPMER, Puducherry.
  - (ix) Food Safety and Standard Authority of India, New Delhi.
  - (x) Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad.
  - (xi) Central Medical Services Society, New Delhi.
  - (xii) All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneshwar.
  - (xiii) All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh.
  - (xiv) All India Institute of Medical Sciences, Raipur.
  - (xv) All India Institute of Medical Sciences, Patna.
  - (xvi) All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur.
  - (xvii) All India Institute of Medical Sciences, Bhopal.
  - (xviii) Indian Council of Medical Research, New Delhi.

[Placed in Library, See No. LT 3974/16/15]

23.12.2015 45

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): Madam, I beg to lay on the Table:

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Rural Management Anand, Anand, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
- (2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Rural Management Anand, Anand, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3975/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Industrial Disputes (Central) (Amendment) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.417(E) in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> May, 2015 under sub-section (3) of Section 40 of the Industrial Disputes Act, 1947.

[Placed in Library, See No. LT 3976/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Madam, I beg to lay on the Table:

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3977/16/15]

(2) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Reports and Audited Accounts of the following institutions within the stipulated period of nine months after the close of the accounting year 2014-2015:-

- (i) Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi.
- (ii) National Institute of Homoeopathy, Kolkata.
- (iii) Central Council of Homoeopathy, New Delhi.
  - (iv) Central Council of Indian Medicine, New Delhi.
  - (v) Indian Medicines Pharmaceuticals Corporation Limited, Almora.
  - (vi) Central Council for Research in Siddha, Chennai.

[Placed in Library, See No. LT 3978/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): Madam, I beg to lay on the Table:

(1) A copy of the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & UTs (Multi-year Distribution Tariff) (First Amendment) Regulations, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. JERC-18/2014 in Gazette of India dated 27<sup>th</sup> August, 2015 under Section 182 of the Electricity Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 3979/16/15]

(2) A copy of the Notification No. S.O. 2704(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 6<sup>th</sup> October, 2015, regarding modification in Schedule III of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 under sub-section (3) of Section 31 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015, together with a corrigendum thereto published in Notification No. S.O.2848(E) dated 16<sup>th</sup> October, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3980/16/15]

23.12.2015 47

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदया,, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:--

- (1) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
  - (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3981/16/15]

- (2) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
  - (दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3982/16/15]

- (3) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
  - (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3983/16/15]

- (4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
  - (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3984/16/15]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (क) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
  - (दो) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [Placed in Library, See No. LT 3985/16/15]
- (ख) (एक) न्यूक्लियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
  - (दो) न्यूक्लियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [Placed in Library, See No. LT 3986/16/15]
- (ग) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
  - (दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3987/16/15]

- (घ) (एक) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
  - (दो) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
    [Placed in Library, See No. LT 3988/16/15]

(ड.) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

- (दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [Placed in Library, See No. LT 3989/16/15]
- (6) (एक) हरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
  - (दो) हरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

    [Placed in Library, See No. LT 3990/16/15]

(7) (एक) होमी भाभा नेशनल इंस्टिट्यूट, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) होमी भाभा नेशनल इंस्टिट्यूट, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3991/16/15]

- (8) (एक) एटॉमिक इनर्जी एजुकेशन सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
  - (दो) एटॉमिक इनर्जी एजुकेशन सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

    [Placed in Library, See No. LT 3992/16/15]
- (9) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
  - (दो) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

    [Placed in Library, See No. LT 3993/16/15]
- (10)(एक) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
  - (दो) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [Placed in Library, See No. LT 3994/16/15]
- (11)(एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडिमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडिमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [Placed in Library, See No. LT 3995/16/15]

- (12) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे :-
  - (एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2014, जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 656(अ) में प्रकाशित हुए थे।
    - (दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2014, जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 657(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2014, जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 658(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2014, जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 659(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (पाँच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2014, जो 16 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 706(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2014, जो 16 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 707(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2014, जो 16 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 708(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2014, जो 16 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 709(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 3996/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, on behalf of my colleague Shrimati Nirmala Sitharaman, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under subsection (3) of Section 30 of the Tobacco Board Act, 1975:-

- (1) S.O.2396(E) published in Gazette of India dated 3<sup>rd</sup> September, 2015, authorising the Tobacco Board to admit the traders/dealers of the Tobacco to purchase the excess unauthorized tobacco at the auction platforms by charging penalties as fixed by the Government in the State of Andhra Pradesh.
- (2) S.O.2397(E) published in Gazette of India dated 3<sup>rd</sup> September, 2015, relaxing the operation of the provisions of Section 10(1) of the Tobacco Act, 1975 in the State of Andhra Pradesh.

[Placed in Library, See No. LT 3997/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, on behalf of my colleague Dr. Mahesh Sharma, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(1) (i) Review by the Government of the working of the India Tourism Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the India Tourism Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3998/16/15]

- (2) (i) Review by the Government of the working of the Donyi Polo Ashok Hotel Corporation Limited, Itanagar, for the year 2014-2015.
  - (ii) Annual Report of the Donyi Polo Ashok Hotel Corporation Limited, Itanagar, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3999/16/15]

- (3) (i) Review by the Government of the working of the Utkal Ashok Hotel Corporation Limited, Puri, for the year 2014-2015.
  - (ii) Annual Report of the Utkal Ashok Hotel Corporation Limited, Puri, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 4000/16/15]

- (4) (i) Review by the Government of the working of the Madhya Pradesh Ashok Hotel Corporation Limited, Bhopal, for the year 2014-2015.
  - (ii) Annual Report of the Madhya Pradesh Ashok Hotel Corporation Limited, Bhopal, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 4001/16/15]

(5) (i) Review by the Government of the working of the Kumarakruppa Frontier Hotel Private Limited, New Delhi, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Kumarakruppa Frontier Hotel Private Limited, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 4002/16/15]

- (6) (i) Review by the Government of the working of the Pondicherry Ashok Hotel Corporation Limited, Puducherry, for the year 2014-2015.
  - (ii) Annual Report of the Pondicherry Ashok Hotel Corporation Limited, Puducherry, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 4003/16/15]

- (7) (i) Review by the Government of the working of the Ranchi Ashok Bihar Hotel Corporation Limited, Patna, for the year 2014-2015.
  - (ii) Annual Report of the Ranchi Ashok Bihar Hotel Corporation Limited, Patna, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 4004/16/15]

- (8) (i) Review by the Government of the working of the Punjab Ashok Hotel Company Limited, Chandigarh, for the year 2014-2015.
  - (ii) Annual Report of the Punjab Ashok Hotel Company Limited, Chandigarh, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 4005/16/15]

(9) (i) Review by the Government of the working of the Assam Ashok Hotel Corporation Limited, Guwahati, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Assam Ashok Hotel Corporation Limited, Guwahati, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 4006/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, on behalf of my colleague Shri Mukhtar Abbas Naqvi, I beg to lay on the Table:

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Waqf Council, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Waqf Council, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4007/16/15]

(2) A copy of the Approval of Scheme for Dissolution and Reconstitution of the State Waqf Boards for the States of Andhra Pradesh and Telangana Order, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.2452(E) in Gazette of India dated 8th September, 2015 issued under Section 102 of the Waqf Act, 1995.

[Placed in Library, See No. LT 4008/16/15]

(3) A copy of the Waqf Properties Lease (Amendment) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.663(E) in Gazette of India dated 26<sup>th</sup> August, 2015 under sub-section (3) of Section 12 of the Waqf Act, 1995.

[Placed in Library, See No. LT 4009/16/15]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा): अध्यक्ष महोदया, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:--

- (1) (एक) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
  - (दो) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4010/16/15]

- (2) (एक) रिटेस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (दो) रिटेस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। [Placed in Library, See No. LT 4011/16/15]
- (3) (एक) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
  - (दो) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 4012/16/15]

- (4) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
  - (वो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4013/16/15]

- (5) (एक) डेडीकेटेड फ्रेंट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
  - (दो) डेडीकेटेड फ्रेंट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4014/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI UPENDRA KUSHWAHA): Madam, I beg to lay on the Table:

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
- (2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4015/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): Madam, I beg to lay on the Table:

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
  - (i) Review by the Government of the working of the National Highways Infrastructure Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2014-2015.
  - (ii) Annual Report of the National Highways Infrastructure Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 4016/16/15]

(2) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Trust Pension Fund Trust, Mumbai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mumbai Port Trust Pension Fund Trust, Mumbai, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4017/16/15]

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 124 of the Major Port Trust Act, 1963:-
  - (i) G.S.R.919(E) published in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> December, 2015, approving the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015.
  - (ii) G.S.R.819(E) published in Gazette of India dated 30<sup>th</sup> October,
     2015, approving the Paradip Port Trust Employees (Recruitment,
     Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015.
  - (iii) G.S.R.820(E) published in Gazette of India dated 30<sup>th</sup> October, 2015, approving the Mormugao Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015.
  - (iv) G.S.R.821(E) published in Gazette of India dated 30<sup>th</sup> October,
     2015, approving the Kandla Port Trust Employees (Recruitment,
     Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015.
  - (v) G.S.R.887(E) published in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> November,
     2015, approving the Tuticorin Port Trust Employees
     (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment
     Regulations, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 4018/16/15]

(vi) G.S.R.888(E) published in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> November,
 2015, approving the New Mangalore Port Trust Employees
 (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment
 Regulations, 2015.

(vii) G.S.R.889(E) published in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> November, 2015, approving the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 4019/16/15]

(4) A copy of the Notification No. S.O.2122(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 5<sup>th</sup> August, 2015, regarding appointment of Officer, mentioned therein, of the National Highways Authority of India to exercise the powers and discharge the functions conferred on it under various sections, mentioned therein, of the National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 issued under the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 4020/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI Y.S. CHOWDARY): Madam, I beg to lay on the Table:

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Biomedical Genomics, Kalyani, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Biomedical Genomics, Kalyani, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4021/16/15]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Birbal Sahni Institute of Palaeobotany, Lucknow, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Birbal Sahni Institute of Palaeobotany, Lucknow, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4022/16/15]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Maharashtra Association for the Cultivation of Science-Agharkar Research Institute, Pune, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Maharashtra Association for the Cultivation of Science-Agharkar Research Institute, Pune, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4023/16/15]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Innovation Foundation-India, Ahmedabad, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Innovation Foundation-India, Ahmedabad, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4024/16/15]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian National Academy of Engineering, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian National Academy of Engineering, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4025/16/15]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4026/16/15]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Vigyan Prasar, Noida, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Vigyan Prasar, Noida, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4027/16/15]

- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4028/16/15]

23.12.2015 62

(9) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the National Research Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2014-2015.
- (ii) Annual Report of the National Research Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 4029/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): Madam, I beg to lay on the Table:

- (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Insurance Regulatory and Development Authority, Hyderabad, for the year 2014-2015.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Insurance Regulatory and Development Authority, Hyderabad, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4030/16/15]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Goods and Services Tax Network, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Goods and Services Tax Network, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4031/16/15]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999:-

- (i) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Advertisements and Disclosure) (Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg./19/109/2015 in Gazette of India dated 9<sup>th</sup> November, 2015.
- (ii) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Acquisition of Surrender and Paid Up Values) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg./15/105/2015 in Gazette of India dated 22<sup>nd</sup> September, 2015.
- (iii) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Other Forms of Capital) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg./20/110/2015 in Gazette of India dated 17<sup>th</sup> November, 2015.
- (iv) Notification No. F. No. IRDAI/RI/11/101/2015 published in Gazette of India dated 26<sup>th</sup> August, 2015, Insurance Regulatory and Development Authority of India after consultation with the Advisory Committee constituted under Section 101B of the Insurance Act, 1938 and with the previous approval of the Central Government making the said notification.

[Placed in Library, See No. LT 4032/16/15]

- (4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 296 of the Income Tax Act, 1961:-
  - (i) The Income-tax (18<sup>th</sup> Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.923(E) in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> December, 2015, together with an explanatory memorandum.

(ii) The Income-tax (15<sup>th</sup> Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. S.O. 2791(E) in Gazette of India dated 12<sup>th</sup> October, 2015, together with an explanatory memorandum and corrigendum thereto published in Notification No. S.O.2888 dated 21.10.2015.

[Placed in Library, See No. LT 4033/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (SHRI BABUL SUPRIYO):

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
  - (i) Review by the Government of the working of the National Capital Region Transport Corporation Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.
  - (ii) Annual Report of the National Capital Region Transport Corporation Limited, New Delhi, for the year 2013-2014alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 4034/16/15]

- (2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
  - (i) Review by the Government of the working of the National Capital Region Transport Corporation Limited, New Delhi, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the National Capital Region Transport Corporation Limited, New Delhi, for the year 2013-2014 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 4035/16/15]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Building Materials and Technology Promotion Council, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Building Materials and Technology Promotion Council, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4036/16/15]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Government Employees Welfare Housing Organisation, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Government Employees Welfare Housing Organisation, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4037/16/15]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajghat Samadhi Committee, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajghat Samadhi Committee, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4038/16/15]

(6) A copy of Notification No. S.O.2327(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> August, 2015, continuing to assign the additional charge of the post of Claims Commissioner for Delhi Metro Rail Corporation Limited to Shri Satish Chandra, General Manager (Legal), DMRC for a further period upto 3<sup>rd</sup> January, 2016 or until further orders, whichever is earlier, for the purpose of adjudicating upon claims for compensation in respect of accidents involving the death of, or bodily injury to person, or damage to any property arising out of the working of the Delhi Metro issued under Section 48 of the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002.

[Placed in Library, See No. LT 4039/16/15]

#### **12.05** hours

## MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

""In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 22<sup>nd</sup> December, 2015 agreed without any amendment to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Bill, 2015 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 7<sup>th</sup> May, 2015."

I lay on the Table the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Bill, 2015, as passed by Rajya Sabha on the 22<sup>nd</sup> December, 2015."

#### 12.05 ½ hours

# COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS Minutes

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I beg to lay on the Table the Minutes (Hindi and English versions) of the Fifteenth to Seventeenth sittings of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions held during the current session.

\_\_\_\_\_

#### 12.05 3/4 hours

# STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS 10<sup>th</sup> Report

प्रो. सुगत बोस (जादवपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं 2015-16 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 10वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

#### **12.06** hours

# STANDING COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES 4th Report

श्री रमेश विधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): माननीय अध्यक्ष जी, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित 'अ०पि०व० का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने तथा विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शैक्षणिक/तकनीकी संस्थाओं में उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय पर अन्य पिछड़ा वर्क के कल्याण संबंधी समिति (2015-16) का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

## 12.06 ½ hours

## STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND FORESTS 269<sup>th</sup> and 270<sup>th</sup> Reports

SHRI NAGENDRA SINGH (KHAJURAHO): I beg to lay to lay on the table the following Reports (Hindi & English versions) of Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests:-

- (1) Two Hundred Sixty-ninth Report on "Environmental issues of Himachal Pradesh in General and Shimla in Particular".
- (2) Two Hundred Seventieth Report on "Environmental issues of Kerala in General and Kochi/Ernakulam in particular".

#### **12.07 hours**

#### STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on External Affairs on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of External Affairs.\*

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): माननीय अध्यक्ष जी, मैं विदेश मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2014-15) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हं।

#### 12.07 ½ hours

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Urban Development.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): I beg to lay on the Table the statements regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 5<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Urban Development.

<sup>\*</sup> Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4040/16/15 and 4041/16/15 respectively.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation\*

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): I beg to lay on the Table the statements regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 6<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation.

#### **12.08 hours**

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 14th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Minority Affairs.\*

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (DR. NAJMA A. HEPTULLA): I beg to lay on the Table to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 14<sup>TH</sup> Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Minority Affairs.

\_\_\_\_

-

<sup>\*</sup> Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4042/16/15 and 4043/16/15 respectively.

#### 12.08 ½ hours

(iv)Status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of Communications and Information Technology.\*

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): I beg to lay on the Table a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 2<sup>nd</sup> Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of Communications and Information Technology.

\_\_\_\_

#### **12.09 hours**

(v) Status of implementation of the recommendations contained in the 1st and 6th Reports of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2014-15) and (2015-16) respectively, pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development.\*

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): I beg to lay on the Table a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 1st and 6th Reports of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2014-15) and (2015-16) respectively), pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development.

<sup>\*</sup> Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4044/16/15 and 4045/16/15 respectively.

### 12.09 ½ hours

(vi)Status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Railways on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Railways\*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MANOJ SINHA): I beg to lay on the Table a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 4<sup>th</sup> Report of the Standing Committee on Railways on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Railways.

### **12.10 hours**

MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (SECOND AMENDMENT) BILL, 2015 - EXTENSION OF TIME

श्री एस.एस.अहल्वालिया (दार्जिलिंग): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :-

"कि यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बजट सत्र, 2016 के पहले भाग के अंतिम दिन तक बढ़ाए।"

### HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do extend time for presentation of the Report of the Joint Committee on the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Second Amendment) Bill, 2015 up to the last day of the first part of the Budget Session, 2016."

The motion was adopted.

<sup>\*</sup> Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4046/16/15.

23.12.2015 74

#### **12.11 hours**

### MATTERS UNDER RULE 377 \*

HON. SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members may personally hand over the text of the matter at the Table of the House just now.

... (Interruptions)

(i) Need to connect Kaushambi district in Uttar Pradesh, a place of historical Buddhist site with Buddhist Tourist Circuit and also take measures to develop the site as a tourist destination

श्री विनोद कुमार सोनकर (कोशाम्बी): जनपद कौशाम्बी वर्ष 1997 में जनपद इलाहाबाद से तीन तहसीलों को काटकर नव जनपद के रूप में सृजित किया गया था जो विकास से कोसों दूर है तथा यहा मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। जनपद कौशाम्बी में एक ऐतिहासिक बौद्ध स्थल है, जहां भगवान बुद्ध चतुरमासा बिताया करते थे जिसके कारण यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों का आस्था का केन्द्र है। यहां निरन्तर विदेशी पर्यटकों का आवागमन बना रहता है। यदि इस बौद्ध स्थल को बौद्ध सर्किट से जोड़ दिया जाए तो कौशाम्बी के विकास के साथ-साथ पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि होगी। ऐसे ऐतिहासिक बौद्ध स्थल को विकसित करने हेतु इसे बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाना नितान्त आवश्यक है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनपद-कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश) स्थित इस ऐतिहासिक बौद्ध स्थल को विकसित करने व कौशाम्बी का विकास करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं।

<sup>\*</sup> Treated as laid on the Table.

### (ii) Need to reopen closed sugar mills in Basti parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती): मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती (उत्तर प्रदेश) में गन्ना एक प्रमुख फसल होने के साथ-साथ किसानों के जीवन का आधार है। रहने के लिए मकान, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, बेटियों की शादी से लेकर किसानों के तमाम सपने गन्ने की फसल से मिलने वाले मूल्य पर ही निर्भर होते हैं। किंतु पिछले कुछ सालों से गन्ना किसान मिल मालिकों एवं सरकार की उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं जिससे इनका व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती में कुल चार मिलें थी - बस्ती, वाल्टरगंज, मुण्डेरवा और रुधौली। वर्ष 2002 में किन्हीं कारणों से अचानक मुण्डेरवा चीनी मिल बन्द कर दी गई, जिसके विरोध में किसानों ने आन्दोलन किया। तीन किसान इस आन्दोलन में अपनी जान तक गंवा बैठे, फिर भी मिल चालू नहीं हो सकी। वर्ष 2012 में अपने बड़े दाने के लिए मशहूर बस्ती चीनी मिल को भी बंद कर दिया गया। तब से लेकर अब तक मिल गेट पर किसानों का अनवरत धरना चल रहा है फिर भी स्थिति जस की तस है। बजाज ग्रुप द्वारा संचालित बस्ती चीनी मिल में आर्थिक भ्रष्टाचार व कर्मचारियों के शोषण की व्यापक शिकायतें मिल रही हैं जो सन्देह के घेरे में है। ड

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती (उत्तर प्रदेश) के गन्ना किसानों की दशा पर गंभीरता से विचार करते हुए बंद हो चुकी मिलों को शीघ्र ही चालू कराया जाए। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में हुए बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे में मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती सहित पूरे उत्तर प्रदेश में भारी अनियमितता बरती गई है। मैं सरकार से इसकी भी जांच करवाकर मुआवजे का लाभ प्रभावित किसानों को देने का आग्रह करता हूं।

### (iii) Need to conserve and develop places of tourist and cultural heritage in Allahabad and its surrounding places in Uttar Pradesh

श्री केशव प्रसाद मीर्थ (फूलपुर): सांस्कृतिक, अध्यात्म एवं शिक्षा की नगरी प्रयागराज एवं उसके निकटवर्ती स्थानों के पर्यटन व सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित एवं विकसित करने के संदर्भ में आपसे आग्रह है कि प्रयाग में प्रत्येक वर्ष माघ मेला, प्रत्येक 6 वर्ष में अर्द्धकुंभ एवं 12 वर्ष के पश्चात महाकुंभ मेले का आयोजन होता है जिसमें दुनिया के कोने-कोने से करोड़ों पर्यटकों और श्रद्धालुओं का आगमन होता है। इस क्षेत्र में स्थित श्रृंगवेरपुर धाम वहीं स्थान है जहां भगवान श्री राम ने केवट की नाव में गंगा पार की थी। आज भी इस स्थान का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। साधन के अभाव एवं मार्ग व्यवस्था खराब होने के बाद भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक श्रृंगवेरपुर में गंगा दर्शन एवं गंगा स्नान को आते हैं। श्रृंगवेरपुर के समीप ही रामचौरा नामक स्थान है जहां भगवान श्री राम ने एक रात्रि विश्राम किया था। पाण्डवों के द्वारा स्थापित शिवलिंग पण्डेयश्वर धाम स्थानीय जनता में शिव नगरी के नाम से जाना जाता है जहां सालों-साल श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। दुर्वासा आश्रम भी इसी क्षेत्र में स्थित है जो पूरे देश में अपनी तरह का एकमात्र आश्रम है। शहर के अंदर बेनीमाधव का मंदिर, लिलता देवी का मंदिर, आलोपशंकरी मंदिर, दशासुमेध मंदिर (जहां ब्रह्मा जी ने दस हजार यज्ञ किए थे), आदिगणेश मंदिर इत्यादि ऐसे स्थान हैं जहां भारी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। झूंसी नगर में संकीर्तन भवन, गंगोली शिवाला एवं अन्य कई प्राचीन मंदिर हैं। तीर्थराज "प्रयाग" में स्थित भारद्वाज आश्रम का भारत ही नहीं विदेशों में भी बहुत महत्व है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि तीर्थराज "प्रयाग" में स्थित भारद्वाज आश्रम के सुन्दरीकरण को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए। भारद्वाज पार्क में भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण जी के साथ महर्षि भारद्वाज जी की विशाल प्रतिमा की स्थापना की जाए। श्रृंगवेरपुर में भी निषादराज गुह जी के साथ भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा की स्थापना की जाए। पर्यटन व सांस्कृतिक धरोहर को पर्यटन की दृष्टि से संरक्षित एवं विकसित किया जाए।

### (iv) Need to take effective steps to curb trafficking of children in the country

श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत): हम आए दिन अखबारों और सोशल नेटविर्किंग साइट्स पर बच्चों के लापता होने की खबरे पढ़ते हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जिस दिन देश में बच्चों के लापता होने की खबरें नहीं आती हों। दिन-ब-दिन इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। खासकर बच्चियों के अपहरण होने की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। देखने में आता है कि दिल्ली, मुम्बई जैसे महानगरों में छोटे-छोटे बच्चे अक्सर गाड़ियों को साफ करते और भीख मांगते दिखाई पड़ते हैं। कई बार इतनी कम उम्र में नशा करते दिखाई देते हैं। कम उम्र की बच्चियों को जबरन वेश्यावृत्ति कराने की खबरें भी आती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारे देश का हर एक बच्चा सुरक्षित है, क्या उसका बचपन सुरक्षित है? सरकार ने बच्चों खासकर बच्चियों के लिए बटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ " जैसी योजना की शुरुआत की है। मैं सरकार को ऐसी पहल करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं ऐसे राज्य से आता हूं जहां लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, न जाने कौन सा बच्चा कल देश की तकदीर लिखे, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने। इसलिए सरकार को देश की भावी धरोहरों को सजोने के लिए कदम उठाने चाहिए। बाल तरकरी और बाल मजदूरी जैसे अमानवीय कृत्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। इसके लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए जिससे कोई भी बचपन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश भी न कर सके। ऐसा करके ही बच्चों के बचपन को अंधकार में इबने से बचाया जा सकता है।

### (v) Need to clear railway land from encroachment in Maharashtra particularly in Vidarbha region of the State

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया): देश में महाराष्ट्र के विदर्भ सहित अन्य हिस्सों में रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर कथित रूप से रेलवे के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है। अतिक्रमणकारी बेशकीमती जमीन पर गोदामों का निर्माण करवाकर हर माह किराया कमा रहे हैं। रेलवे की लीज व किराये की लाखों रुपयों की राशि डूबी हुई है तथा वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं। अधिकारियों को भी रिश्वत के आरोप में फंसा दिया गया है। रेलवे द्वारा लीज पर जमीन इसलिए दी जाती है कि रेलवे को भी व्यवसायिक लाभ हो, लेकिन सभी कानूनों को ताक पर रखकर जमीन का मनचाहा उपयोग किया जा रहा है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सरकार सक्षम अधिकारियों के माध्यम से इस प्रकरण की जांच करवाकर अतिक्रमणकारियों के ऊपर कानूनी करवाए की जाए ताकि राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा हो सके।

### (vi) Need to provide special fund for construction of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Mandi parliamentary constituency, Himachal Pradesh

श्री राम स्वरूप शर्मा (मंडी): मेरे संसदीय क्षेत्र मंडी (हिमाचल प्रदेश) की अधिकांश ग्रामीण सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2603 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे जिसमें से केवल 1340 करोड़ रुपए ही अभी तक व्यय किए गए हैं। आश्चर्य है कि बहुत से निर्माण कार्य इस योजना के अंतर्गत असंतोषजनक पाए गए हैं। इन निर्माण कार्यों के सत्यापन हेतु निर्धारित प्रक्रिया भी असंतोषजनक है। प्रदेश की 603 में से 50 प्रतिशत सड़कें ऐसी हैं जिनका गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी निरीक्षण भी अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंडी व कुल्लू के भीतरी गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों का भी हाल बदतर है जो आम जन के लिए कठिनाइयां पैदा कर रही हैं।

प्रदेश में स्वीकृत सड़कों की संख्या 2100 के करीब थी जिसमें से 577 अभी तक बन नहीं पाई हैं। प्रदेश में यह कार्य यदि इसी धीमी गित से चलता रहा तो प्रदेशवासी विशेषकर मण्डी-कुल्लू निर्वाचन क्षेत्र के गांववासी जिनके लिए सड़कें जीवन रेखा हैं, उनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।

अतः मेरा माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि पहाड़ी क्षेत्रों विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए इस योजना के अंतर्गत विशेष वित्तीय राशि प्रदान की जाए ताकि इस योजना का लाभ जरूरतमंद गांव के लोगों को मिल सके तथा अधूरी पड़ी सड़कें भी पूर्ण हो सकें।

### (vii) Need to set up Skill Development Centres in Maharajganj parliamentary constituency, Bihar

श्री जर्नादन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज (बिहार) राज्य के दो जिलों सारण और सीवान जिलान्तर्गत आता है। यह राज्य का एक अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है किंतु यहां हुनरमंद लोगों की कमी नहीं है। यहां के लोगों को विरासत में मिले परम्परागत हुनर प्राप्त है जिसमें युवाओं की संख्या अधिक है। यह हुनरमंद लोग भांति-भांति की कलाओं से परिपूर्ण हैं और जगह-जगह अपनी कला का प्रदर्शन भी करते रहते हैं। लकड़ी एवं लोहे के सामानों, मिट्टी के बर्तनों, राजमिस्त्री, के रूप में मकानों पर उकेरी गई कलाकृतियों आदि विभिन्न कलाओं से परिपूर्ण, यहां के लोगों की विशेषता है। ऐसे में भारत सरकार के "स्किल इंडिया" अवधारणा के सपनों के अनुरूप नई-नई तकनीक से इन लोगों के अंदर छुपे हुनर को बाहर निकालकर निखारने एवं विकसित करने की महती आवश्यकता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालयों महाराजगंज, छपरा सदर के साथ मशरख, एकमा, मांझी, बिनयापुर, तरैया, लहलादपुर, गोरियाकोठी, भगवानपुर, लकड़ीनवीगंज, इसुआपुर आदि स्थानो पर कौशल विकास केन्द्र स्थापित किए जाएं। ऐसे केन्द्र स्थापित होने से युवाओं के साथ-साथ अन्य लोगों के लिए भी रोजगार सृजन करने का अवसर मिलेगा। साथ ही हमारी प्राचीन कलाओं को पुनर्जीवन मिलेगा और देश का गौरव भी बढ़ेगा।

#### (viii) Need to improve services of BSNL in Ladakh.

SHRI THUPSTAN CHHEWANG (LADAKH): The people in my constituency Ladakh are extremely agitated over the very poor service by the Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL). The Mobile and Broad Band services have been extremely erratic. The reasons for poor services are attributed to frequent optical fibre disruption along Srinagar-Leh Highway, traffic congestion, low equipment capacity, frequent fault in old equipment and very low satellite channels. As Hon'ble Minister for Telecom is very well aware of the fact the Ladakh Region remains cut-off from rest of the country for six months during winter and people there expect better services during the period. Ladakh being a very important tourist destination better telecom services is essential during summer months as well. Most unfortunately BSNL has neglected Ladakh during the last two years and there has been virtually no expansion/installation of mobile equipment, improvement of media and capacity upgradation through Universal Services Obligation (USO) fund and USO funding for mobile towers in remote areas of Ladakh. Besides there is acute shortage of staff, Ladakh being a very strategic and sensitive remote region of our country needs special attention. I request Hon'ble Minister for Communications and Information Technology to consider special assistance to Ladakh for improvement of telecom services by BSNL on priority basis.

### (ix) Need to undertake electrification of railway line on Jaipur-Sawai Madhopur and Delhi-Jaipur-Agra section and also run a direct train from Jaipur to Shirdi

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर): जयपुर-सवाई माधोपुर तथा गोल्डन टूरिस्ट सर्किट ट्राईंगल दिल्ली-जयपुर-आगरा रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत कर शीघ्र चालू कराया जाए जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। इसके साथ ही जयपुर से शिरडी के लिए सीधी रेलगाड़ी चलाई जाए। शिरडी धाम एक धार्मिक स्थान है, साथ ही त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग (नासिक) भी एक बड़ा धार्मिक स्थान है। यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं को आना-जाना रहता है और जयपुर से व्यापारी वर्ग का भी महाराष्ट्र में बहुत आवागमन रहता है। जयपुर से शिरडी के लिए सीधी रेलगाड़ी चलने से सभी को बहुत सुविधा मिलेगी।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त सभी कार्यों को जनहित में धार्मिक पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र कराने की कृपा की जाए।

## (x) Need to set up a Committee to look into the grievances of people displaced due to establishment of industrial factories and power plants in Sidhi parliamentary constituency, Madhya Pradesh

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी (मध्य प्रदेश) का एक बड़ा भूभाग सिंगरौली जिले के रूप में स्थित है जो बड़े उद्योगों एवं परियोजनाओं का कार्यक्षेत्र है जहां हिंडालको पावर एंड एल्यूमीनियम प्लांट, रिलायंस पावर प्लांट, एस्सार पावर प्लांट, जेपी कोल माइन्स और कई ऐसे उद्योग व परियोजनाएं स्थापित हैं। इन उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप हमारे सिंगरौली जिले के बहुत बड़े जनसमूह/परिवारों का विस्थापन हुआ है जो आज भी बहुत अधिक संख्या में विस्थापितों के आवश्यक व निर्धारित लाभ से वंचित है। जब मैं क्षेत्र प्रवास के लिए निकलती हूं तो हजारों की संख्या में विस्थापितों की समस्या से जुड़े हजारों मुरझाए चेहरे न्याय की गुहार लगाते आवेदन लिए खड़े रहते हैं। विस्थापित व्यक्ति को अपनी धरती, अपना आश्रय, आशियाना, वर्षों से पले पेड़-पौधे सब कुछ उन परियोजनाओं को देना पड़ता है जो सम्पत्ति उस विस्थापित व्यक्ति के लिए सिर्फ सम्पत्ति नहीं अपितु परम्परा से प्राप्त पूर्वजों की थाती है, धरोहर है जिससे उसका भावनात्मक लगाव भी है।

अतः मेरा माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी से अनुरोध है कि उन उद्योगों व परियोजनाओं के प्रबंधकों से विस्थापितों से जुड़ी सभी समस्याओं के निराकरण हेतु कमेटी गठित करवाने की कृपा करें जिससे उनकी समस्याओं का निदान हो सके।

### (xi) Need to set up a Railway Division at Thawe in Gopalganj parliamentary constituency, Bihar

श्री जनक राम (गोपालगंज): थावे जंक्शन रेलवे स्टेशन जो मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज (बिहार) के अंतर्गत आता है जहां पूर्व की सरकार ने थावे रेल मंडल बनाने की घोषणा की थी, शिलान्यास भी हुआ था, जमीन अधिग्रहित कर ली गई थी, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

सीवान, छपरा, मोतिहारी, बेरिया के बीचोंबीच आने वाली यह जगह मध्य भाग में मानी जाती है और ऐतिहासिक तथा भौगोलिक रूप से व थावे माई का मंदिर होने के नाते भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी जगहों से बहुत बड़ी संख्या में देश व विदेश के भिन्न-भिन्न राज्यों में रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, धार्मिक पर्यटन व अन्य कार्यों के लिए यात्रियों का यहां से पूरे वर्ष आना-जाना हमेशा लगा रहता है जिससे रेलवे विभाग को यहां से बहुत अधिक राजस्व मिलता है।

अतः मेरा माननीय प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि थावे जंक्शन रेलवे स्टेशन को मंडल बनाने के लिए यहां शीघ्र ही संबंधित जोन के अधिकारियों को भेजकर निर्माण कार्य की रूपरेखा बनाने की कृपा करें।

# (xii) Need to cover the huge coal mine pits abandoned after mining work by Coal India Limited causing environmental pollution as well as becoming a hiding place for criminals in the region

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा): खनिज कम्पनियों विशेषकर कोल इंडिया द्वारा जो खनन कार्य किया जाता है, उसमें खनन के बाद उन गड्ढ़ों को नहीं भरा जा रहा है। 50-50 फीट के गहरे गड्ढ़े हो गए हैं जिनमें बारिश के मौसम में पानी जमा होता है, उस पानी में पशु-पिक्षयों के मरने से पानी सड़ता है जो वातावरण को प्रदूषित करता है। प्रदूषित हवा आस-पास रहने वाले नागरिकों को प्रभावित करती है जबिक खनन के बाद उन गड्ढ़ों को भरकर पर्यावरण संरक्षण हेतु उस स्थान पर पेड़-पौधे लगाए जाने का प्रावधान है। इस तरह के ज्यादातर मामले झारखंड राज्य में देखने को मिल रहे हैं। इन गड्ढ़ों में अपरािधयों ने अपने छुपने के अड्डे बना रखे हैं। किसी को मारकर गिरा देते हैं या हत्या करके उनमें छुप जाते हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन गड्ढ़ों को भरने का समुचित प्रबंध करवाया जाए तथा जिन जमीन मालिकों से जमीन को लिया गया है, उनको वापस कर दिया जाए।

### (xiii) Need to stop collection of toll tax on National Highways across the country

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली राजमार्गों के निर्माण के पीछे की मूल भावना जा समय एवं ईंधन (पेट्रोल डीजल) की बचत तथा गतिशीलता है, के विरुद्ध जा रही है। टोल नाकों पर लम्बी-लम्बी कतारें और वहां लगने वाला समय इस ओर संकेत करता है कि अब समय आ गया है कि सरकार टोल नाकों की समाप्ति की दिशा में सार्थक कदम उठाए। अनेक सड़कों पर सड़क निर्माण पर खर्च की गई राशि से कई गुना राशि टोल के जिए वसूल की जा चुकी है फिर भी टोल वसूला जा रहा है एवं हर वर्ष प्रति वाहन टोल शुल्क में बढ़ोत्तरी भी की जा रही है। टोल नाकों पर लगने वाले समय में मालवाहक वाहनों का वजन करने की अनिवार्यता के चलते और वृद्धि हुई है। आम जन इन सारी परेशानियों के चलते मानसिक रूप से भी परेशान हो रहा है। टोल नाकों पर लगने वाला समय बहुत भारी महसूस होता है। ईंधन का खर्च भी बढ़ रहा है। तत्काल प्रभाव से इस हेतु किसी अन्य व्यवस्था के बारे में विचार करना चाहिए या टोल नाकों का आधुनिकीकरण किया जाए, यह वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अत्यंत आवश्यक है।

# (xiv) Need to connect Sitapur with Lakhimpur by a four lane road and also provide the same road connectivity between Dudhwa National Park and Lakhimpur district headquarters

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): सरकार की कार्यप्रणाली और माननीय प्रधानमंत्री जी की विकास योजनाओं से प्रभावित मेरे जनपदवासियों को सरकार से बहुत अपेक्षाएं हैं।

लखीमपुर-खीरी उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिक एवं व्यापारी विगत काफी समय से लखनऊ जाने के लिए सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग-24 तक जनपद मुख्यालय को फोर लेन से जोड़े जाने की मांग करते आ रहे हैं। हमारे जनपद लखीमपुर में प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क होने से पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं तथा प्रदेश का 'शुगर बाउल' कहे जाने वाले हमारे कृषि प्रधान, वन सम्पदा से परिपूर्ण जनपद का उद्योग व्यापार सम्पर्क मार्ग न होने के कारण स्पर्धा नहीं कर पा रहा है तथा जनपद के उद्योग धन्धे देश के विकास में समृचित योगदान नहीं कर पा रहे हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सीतापुर लखीमपुर मुख्यालय की दूरी 45 किलोमीटर है, इसको फोर लेन से जोड़ा जाए तथा लखीमपुर जनपद में प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क दुधवा नेशनल पार्क होने से पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। यहाँ सुविधाजनक सम्पर्क हेतु विलरायां-पनवारी राजमार्ग पर पड़ने वाली पचपेड़ी घाट पर पुल का निर्माण कराया जाए तथा इसी मार्ग द्वारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को फोर लेन द्वारा जनपद मुख्यालय से जोड़ा जाए।

### (xv) Need to extend loan facilities to cattle rearers under MUDRA Bank Scheme

श्री सुखवीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): भेड़, बकरी व पशु पालन टोंक जिले (राजस्थान) के ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत ही प्रचलित एवं लोकप्रिय व्यवसाय है। टोंक जिले की मालुपरा तहसील के अविकानगर में भारत सरकार का केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान केन्द्र स्थापित है। दिनांक 18.11.2015 को इस संस्थान द्वारा सांसद आदर्श ग्राम कांटोली जिला टोंक में किसान गोष्ठी एवं भेड़ पालन शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया और मुझे भी भाग लेने का मौका मिला। इस शिविर में मुझे संस्थान के निदेशक और किसानों के द्वारा बातचीत में बताया गया कि वर्तमान में एक भेड़ 2 बच्चों को जन्म देती है और एक भेड़ के बच्चे की कीमत लगभग 2500 रुपए से 3000 रुपए के बीच में होती है और उत्तम किस्म की भेड़ों का मरीना ऊन भी भारी कीमत में बिकता है जिससे भेड़ पालकों को आर्थिक लाभ हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत भेड़, बकरी तथा गाय पालकों को भी ऋण दिया जाए तो पशुपालकों को आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही देश को भी इसका आर्थिक लाभ मिलेगा।

अतः मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना में दुकानदार तथा व्यवसायी आदि के साथ-साथ पशुपालकों को भी जोड़ने के कदम उठाए जाएं।

# (xvi) Need to develop a roadmap for distribution, availability and optimum utilisation of water resources in the country with particular focus on Bundelhand region under IMPRINT India Scheme

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): जल की कमी एवं कृषि के विकल्प के रूप में अन्य आजीविका के संसाधनों का विकास बुन्देलखुड सिहत आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में न होने के कारण युवा परेशान एवं हतप्रभ हैं तथा किन जीवन परिस्थितियां उनकी हर पल परीक्षा ले रही हैं। यह मानसिक उचाट कभी-कभी विद्रोह के रूप में समाज के मध्य प्रस्फुटित होता रहा है एवं इन घटनाओं का उल्लेख सर्वविदित है। अतः नए युग में भारत के विकास में बुंदेलखंड सिहत देश के सभी पिछड़े क्षेत्र भी अपना योगदान दें, इसलिए यह जरूरी है कि जल संसाधनों के विकास एवं समुचित उपयोग हेतु नवीन प्रणालियों तथा शोध के साथ-साथ पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण एवं संवर्धन पर भी जोर दिया जाए।

भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 'इप्रिंट इंडिया' योजना के अंतर्गत विभिन्न समस्याओं के निदान हेतु शोध कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है जो एक सराहनीय कदम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चुने एक विषय विशेषकर जल संसाधन एवं नदी प्रणाली को सम्मिलित करने पर मैं सरकार को विशेष बधाई देता हूं। हमीरपुर, महोबा सिहत पूरे बुंदेलखंड में पेयजल और सिंचाई एक बहुत गंभीर समस्या है। इस क्षेत्र का किसान और मजदूर पारम्परिक ज्ञान की व्यवहारिक समझ और आपसी सौहार्द के कारण अपने जीवन की बहुत मुश्किल से रक्षा कर पा रहा है। जल संसाधन एवं नदी प्रणाली के शोध कार्यों को बुंदेलखंड का मानस अपने अस्तित्व से जोड़कर देख रहा है और इस शोध में लगे वैज्ञानिकों को उनके भगीरथ प्रयास के लिए शुभकामनाएं देता हूं और यह आशा करता हूं कि वर्तमान केन्द्र सरकार के प्रयासों से बुंदेलखंड सिहत सम्पूर्ण देश में विकास की गंगा बहेगी।

### (xvii) Need to improve road connectivity in Supaul parliamentary constituency, Bihar

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल): मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल (बिहार) जिला के अंतर्गत मरौना प्रखंड के मरौनानिर्मली मुख्य सड़क ब्रह्मोत्तर से मंगासिंहौल जाने वाली पथ की स्थिति काफी खराब हो गई है। प्रायः
प्रतिदिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती हैं एवं इस पथ पर बलान नदी के ब्रह्मोत्तर घाट पर पुल नहीं
रहने से इस क्षेत्र की बड़ी आबादी के लिए आवागमन हेतु नाव ही एकमात्र सहारा है। इस नदी के पूर्व भाग
में मरौना प्रखंड के करीब चालीस हजार की आबादी अवस्थित है जिन्हें पुल के अभाव में काफी कठिनाइयों
का सामना करना पड़ता है एवं प्रतिवर्ष नाव दुर्घटना में सैकड़ों लोग पानी में डूबकर मरते हैं। ऐसी
परिस्थिति में ब्रह्मोत्तर से मंगासिंहौल तक पथ निर्माण एवं ब्रह्मोत्तर घाट पर पुल आवश्यक है एवं मधुबनी
जिला सीमा से परसौनी मंगासिंहौल होते हुए मध्य विद्यालय गिदराही होते हुए परिकोच तक प्रधानमंत्री
ग्रामीण सड़क जाती है, इसकी स्थिति भी काफी खराब है। इस सड़क के बनने से इस इलाके के करीब
30 हजार की आबादी को आवागमन का फायदा मिलेगा जो कि जनहित में अति आवश्यक है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त दोनों सड़क जो क्रमशः ब्रह्मोत्तर से मंगासिंहौल एवं मधुबनी जिला सीमा परसोनी से मध्य विद्यालय गिदराही होते हुए परिकोंच प्रधानमंत्री सड़क तक सड़क एवं बलान नदी के ब्रह्मोत्तर घाट पर पुल बनावाया जाए तािक आमजनों को हो रही परेशानी एवं प्रत्येक साल होने वाली दुर्घटना एवं नाव डूबने से हो रही मौतों से छुटकारा मिल सके।

### (xviii) Need to construct E.S.I. Dispensary-cum-Diagnostic lab building at Nanjangud town Headquarters, Mysore district

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): I would like to bring to the kind attention of the Government delay regarding construction of E.S.I. Dispensary-cum-Diagnostic Lab Building at my Constituency ie., at Nanjangud Taluk Headquarters, Mysore District (Karnataka).

The Union Government have already (three years back) sanctioned ESI Dispensary-cum-Diagnostic Lab at Nanjangud Taluk Headquarters and the programme of laying foundation stone was successfully done by the Hon'ble Ex-Union Minister of State for Labour & Employment on 23-10-2013. During the above function, he had directed the concerned Officer to start construction of the above building and to complete it at the earliest. But so far, the construction of building has not started and I have communicated the above situation to the Union Government many times. But no action has been taken.

As there are many Industrial areas there and many factories running at Nanjangud Taluk and a large number of Employees are working in these factories and they are waiting to get benefit of ESI Dispensary-cum-Diagnostic Lab, I hereby strongly urge the Union Government to take immediate steps for construction of E.S.I. Dispensary-cum-Diagnostic Lab Building at my Constituency ie., at Nanjangud Town Headquarters, Mysore District.

### (xix) Need to set up an export oriented Common facility Centre for export of banana in Theni parliamentary constituency of Tamil Nadu

SHRI R. PARTHIPAN (THENI): Theni District is the major Banana growing region in Tamil Nadu. About 12,000 hectares of land is producing large quantities and varieties of Banana. The Cavendish Banana has got tremendous potential for export.

The farmers spend more money towards adopting high-tech agro techniques and international standards of practice. The reason for Theni Banana's superior taste and international demand is due to its glucose content of 21 per cent.

The Banana farmers need a common export facility centre boost for export earnings. There is an urgent need to provide adequate help and support by the Union Government to encourage the cultivation and production of Banana in this region. this will increase the foreign exchange earnings of the country. Theni Banana has a shelf life of 42 days. Union Government should address the various problems faced by the farmers in cultivation, production, packaging and the export of Bananas.

The Tamil Nadu State Government has been compensating the farmers suitably whenever their crops are affected and damaged due to natural calamities.

I urge upon the Union Government to explore the possibilities through Agricultural Product Export Development Agency (APEDA) to implement export oriented common facility centre with Pack house facilities in Theni region of Tamil Nadu.

### (xx) Need to provide group insurance Scheme to Cotton growers and also set up an ITI in Perambalur parliamentary constituency

SHRI R.P. MARUTHARAJAA (PERAMBALUR): Perambalur District is known for cotton growing. The farmers of this area depend mainly on the cultivation of cotton as the black soil in this part is suitable for cotton growing. The cotton growing farmers are suffering from various problems which affect their annual production. There is no group insurance scheme for cotton growers. Also in my constituency women are unable to continue their higher education due to poor economic condition. There is an urgent need for an Industrial Training Institute and Entrepreneurship development Centre exclusively for women to develop their skills in power loom techniques, knitting and fashion designing.

I urge the Government to provide the group insurance scheme to cotton growers and also set up an ITI-cum-Entrepreneurship Development Centre exclusively for women in Perambalur.

### (XXI) Regarding shortage of faculty in Indian Universities

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): A huge shortage of faculty in Indian universities is crippling the growth and quality of higher education in India. Central Universities face a vacancy rate of more than 35% in teaching positions. Even our leading institutes such as the IITs and IIMs face huge faculty shortages, as high as 46% in some cases — especially in new institutes. The situation has not improved over the years — even in 2013, more than 38% of teaching positions in the IITs were vacant.

The process of appointing Directors and Heads of these Institutes is also flawed. Increasingly, we are seeing reports of the Government appointing people who are not qualified to head these leading Institutes. Alleged increasing pressure and control by the Government has often led to resignations of institute directors thereby worsening the situation.

Shortage of faculty and inadequacy of selection system is gravely affecting the quality of education. Teacher-student ratio is rising, the attention and support needed for students are far below the requirement and the research capabilities and reputations of our Institutes have been seriously affected.

The government must take immediate steps to ensure availability of qualified faculty by encouraging students to take up Ph.D. and M. Phil programmes and attract more students with research grants and scholarships. Academic and industry experts must be consulted in the appointment of Institute directors and chairmen. The Government should also increase funding of educational Institutes at the Central and State level to allow them to hire and retain the best faculty.

## (xxii) Need to create efficient system of public transport with adequate safety standards in the country

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): India is projected to have an urban population of 60 crore by 2031. This will be about 40% of our total population. Cities lack adequate infrastructure in all spheres — whether it is roads, sanitation, waste management or transport. They are also increasingly getting polluted. 13 of the world's 20 most polluted cities are in India.

One way to reduce pollution and provide infrastructure at the same time is by creating efficient system of public transport. Although this is a State issue, the Centre plays a huge role with financing and coordination.

We need to incentivise the use of public transport over cars. This will involve first making public transport facilities clean, convenient and world-class and second, discouraging private transport through taxes, parking fees and so on.

Another important issue with public transport is safety. Every day, on an average, 10-12 people die on Mumbai's rail tracks. There are similar examples from all over the country. We must increase safety standards to increase usage of public transport.

Increased public transport use will permit our cities to expand more sustainably, reduce our carbon consumption, reduce traffic and fatalities on the roads, and spur economic growth in urban areas. This is an investment that will pay off.

### (xxiii) Need to sanction Bargarh-Nuapada via Padampur to Raipur railway

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): I would like to request the Honbie Minister of Railways to accord sanction to the proposed Bargarh-Nuapada-via Padampur to Raipur new Railway line during the year 2016-17. Survey for this Broad-Gauge Rail link was completed in February, 2003. Ministry of Railways subsequently updated the survey. The estimated cost of the project is Rs.4159 crores with a favourable rate of return of 18.32%. Rail infrastructure in Western Odisha has not developed adequately despite availability of huge natural resources, vast tract of land and surplus production of foodgrains and tourism potential. This B. G. Rail link will travel through two districts namely Nuapada and Bargah. Alternately, another route i.e. Bargarh to Raipur, capital city of Chhattisgarh may be sanctioned. This will provide shortest route (via Khurda -Bolangir line under construction) between Raipur and Bhubaneswar/Puri and also industrial belt of Chhattisgarh to ports in coastal Odisha. This will also be an alternate route for transportation of thermal coal and other minerals to Western and Northern India instead of longer route via Titlagarh. The famous tourist destination Nrusinghanath is located under Padmapur sub-division. Tourist coming to Nrusinghanath will get a shortest route by Railway connectivity. Therefore, keeping in view all these positive aspects, the Ministry of Railways is requested to accord sanction for the new Railway line.

### (XXIV) Need to improve rail connectivity in Srikakulam Parliamentary constituency

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): My constituency Srikakulam is the northern most part of the state of Andhra Pradesh. Srikakulam Railway station is Grade A Railway Station and in spite of the same, justice has not been done to the people of my constituency in terms of the number of trains that originate from Srikakulam Road. Lot of people are facing inconvenience as a result of lack of trains from my constituency. Therefore, the following train's routes need to be introduced on an urgent basis:

- Direct Special Train to Varanasi from Srikakulam as the entire North Andhra lacks direct connectivity to Varanasi.
- Daily Special Passenger Express from Ichapuram to Amaravati as it will provide connectivity to people of the district who travel in search of employment to new capital city.
- Extension of Trains to Tirumala, Amaravati, Hyderabad, Bengaluru, Chennai that originate from Visakhapatnam to Srikakulam Road Station, as that will benefit the scores of daily wage workers who travel regularly to these cities.

### (XXV) Need to bust call money racket in Andhra Pradesh

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): With a deep sense of anguish and pain I am bringing to the Notice of the Government the shameful "Call Money Scandal" in Andhra Pradesh which has shocked the people of the state. Call money is an instant loan available over a call through flexible process where the lender comes home with money, promissory note and other documents and target the borrower especially the women. The interest rate generally ranges from 120 percent to 200 percent. In case the borrower is unable to repay the loan, vehicles, houses, other moveable and immovable properties are demanded as guarantee. Since the loan is mostly paid to women at home, they are threatened, coerced and dragged into flesh trade when they are unable to repay the loan. The lender gang forces the women into prostitution by giving them drugs initially and blackmail them or their relatives are kidnapped/abducted when they protest. The gang also pressurize victims to trap women in their surroundings into this "call money racket".

It is alleged that several important political leaders having affiliation to the ruling party, bureaucrats and also top police officers are a part of this heinous crime. Since several ruling party leaders are involved in the call money scam, the state government is trying to shield them by diverting the investigation. With this shameful scandal, the new capital is earning a bad image. Madam, we saw what happened to our Nirbhaya, today hundreds of Nirbhayas in the clutches of these criminals in my State.

We demand that a judicial probe or a CBI investigation into this heinous racket so that facts pertaining to the alleged involvement of the ruling party leaders are brought before the people and real culprits behind this call money racket are severely punished.

#### (xxvi)Need to set up additional Cancer treatment centres in Assam

SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ): The number of cancer cases is increasing day by day in the state of Assam and it is the worst-affected state in the North East. Even though cancer cases are increasing at an alarming rate, the level of awareness is very low. About 90% patients come to the hospital at the last stage, when there is no chance of recovery. Shortage of cancer treatment facilities in the hospitals of my constituency has become a matter of serious concern. Hence many patients go to the hospitals in other parts of the country, spending huge amount of money. There is urgent need for increasing the number of cancer treatment centres, particularly in the rural areas. From Assam around 10,000 patients go to Mumbai, Vellore and Chennai every year for cancer treatment and 15 to 20 patients go daily to The TATA Memorial Hospital.

Under the circumstances I request the Union Government to come forward and set up additional treatment centres in Assam as well as in Hailakandi and Karimganj and to provide Mobile labs with latest instrument for early detection of cancer patients.

## (xxvi) Need to put in place a mechanism for effective monitoring and surveillance of foreign fishing vessels in Indian waters

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Foreign vessels are illegally fishing in Indian waters. This is causing huge loss to the country's exchequer and affecting the livelihood of domestic fishermen. Several vessels of foreign origin are misusing the Letter of Permit (LoP) scheme of the Indian government to exploit lucrative Indian fish resources. Under the Indian Exclusive Economic Zone (EEZ), only registered Indian fishing vessels can operate. But the LoP scheme of Department of Fisheries allows Indian fishing firms to buy technologically advanced foreign vessels. Dual registration is illegal as per the guidelines of Lop scheme Foreign vessels are flouting the Law. Ineffective monitoring, control and surveillance of such vessels are causing huge loss. The Lop guidelines require all vessels registered under the scheme to send their positions on voyage reports to the nearest Coast Guard office regularly. They are also required to submit their reports to the Fisheries Survey of India. However, in both the cases it was found that the reports were not submitted.

Hence I urge upon the Government to initiate urgent action for strict and comprehensive rules and mechanism for effective monitoring, control, and surveillance of foreign fishing Vessels in Indian waters.

माननीय अध्यक्ष : आप चुप रहिए।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, I have to say something. ... (Interruptions)

### 12.11 ½ hours

(At this stage, Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left the House.)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, we have seen in this entire Session that the Question Hour was not allowed to be held properly. ... (*Interruptions*) The entire country is watching what is happening. They are coming to the Well of the House.... (*Interruptions*)... \*

मैडम, पूरे देशवासी देख रहे हैं कि यह ... (Interruptions)... \* क्या हो रहा है?...(व्यवधान) हरेक मैम्बर को अपना व्यू-प्वाइंट रखने का अधिकार है, वॉक-आउट करने का अधिकार है, प्रोटैस्ट करने का अधिकार है, मैं उसमें पड़ना नहीं चाहता हूं लेकिन सदन की वैल में आकर प्रधान मंत्री के बारे में नारे देना, प्रोवोकेटिव स्लोगन्स रेज करना और एक दिन, दो दिन, चार दिन और अंत तक। दूसरी साइड के भी लोग हैं। प्रधान मंत्री देश के प्रधान मंत्री हैं और प्रधान मंत्री दुनिया में भी सब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं।...(व्यवधान)

He is the most powerful leader in the world now. The entire world is praising him with one voice. ... (*Interruptions*) The people are also looking to him with hopes and aspirations. We are bringing in so many legislations.... (*Interruptions*) The Parliament, the Lok Sabha so far has passed 14 legislations which is a record. These people do not want to take part in debate and discussion. ... (*Interruptions*) They are not performing their duties as responsible opposition parties. They are accusing and abusing the Prime Minister....

\_

<sup>\*</sup> Not recorded.

(Interruptions) I protest against the attitude of the Congress Party and its tactics that are being adopted in the House. They are also questioning the Speaker's observations unfortunately.... (Interruptions) For one word, they have that much impatience and intolerance. For all the words they have been saying about the Prime Minister and about the Government, who is intolerant? ... (Interruptions) We are all tolerant. That is why they are in the Well of the House. ... (Interruptions) The entire House is tolerant. They are intolerant because they do not want to digest the Government and they do not want to respect the mandate of the people. ... (Interruptions) I want to put it on record that the intolerance is towards the mandate of the people. This cannot be accepted at all.... (Interruptions) Today is the last day. I request the Speaker not to take what they said to person because you are like our mother. ... (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी इनकी बात से सहमत हूं। लेकिन मैं एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं कि यह भी परम्परा है कि एक बार सभी दल के नेताओं को आप बुला लीजिए। ये मानते हैं या नहीं मानते हैं लेकिन यह परम्परा है जो आपने खत्म कर दी है।...(व्यवधान) आप क्यों नहीं ये करती हैं? मैं आज से यहां नहीं हूं। मैं भी यहां चार-पांच बार से चुनकर आ रहा हूं। आप एक बार सभी दलों के नेताओं को बुला लीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, बुलाती हूं।

...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: You are like a mother of the House, Madam. We respect you. Today is the last day. ... (*Interruptions*) Madam Speaker, you are like a mother. You have to bear with all this. We are thankful that you are bearing it but there should be a limit for anything. ... (*Interruptions*)

Today is the last day. Many of the Members are making requests but they have to go to far off places like the North-East, Kerala and other places. They met me and requested me also if it is possible to complete the Business before the House at the earliest and allow them to go.... (*Interruptions*) So, what I suggest is

this. The House can take up the Resolution to be moved by the Finance Minister because there is a broad consensus in the House. ... (*Interruptions*) All the parties have been taken into confidence and their representatives' names have also been given with regard to the Joint Committee on the Insolvency and Bankruptcy Code. ... (*Interruptions*) I would request you to permit the Finance Minister so that that work is over and then if everybody agrees House can be adjourned.

HON. SPEAKER: Let us have the 'Zero Hour'

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: If you are ready, it is okay.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, we can have the Motion now as we have to take it to the Rajya Sabha because Rajya Sabha also has to adjourn for the day.... (*Interruptions*) SHRI M. VENKAIAH NAIDU: It has to be moved there also. It is also going to be adjourned.... (*Interruptions*) Let it be done.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): I am not against it but you have always been saying that we are intolerant, we are destroying democracy.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: We will have 'Zero Hour' as some Members have requested for it and then we can have the Motion.

... (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: This is not done. In our absence... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप बार-बार बाहर जाते हैं, फिर अंदर आते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, आप ऐसा मत कीजिए। मैं समझ नहीं पा रही हूं।

...(व्यवधान)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदया, बाल श्रम आज पूरे देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं। समय-समय पर उस पर सरकार के द्वारा कड़े कदम भी उठाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी देखने में आता है कि चाहे ईंट भट्टा हो, चाहे कालीन उद्योग हो, चाहे घरेलू कार्य हों, पटाका उद्योग हों या टेक्सटाइल उद्योग हो, इन उद्योगों में बड़ी संख्या में बाल मजदूर काम करते हुए नजर आते हैं। यह बच्चे भी अच्छे स्कूलों में जाना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, अच्छा भोजन करना चाहते हैं, लेकिन जब हम ठिठुरती ठंड में हम रजाई में घरों में दुबके रहते हैं, गर्मी के समय में भी जब हम अपने घरों में एसी और कूलर में रहते हैं, ये बच्चे इन उद्योगों में काम करते देखे जा सकते हैं।...(व्यवधान) मैं आज सुबह प्रातःकाल पांच बजे भ्रमण के लिए जा रहा था तो मैंने देखा कि बच्चे अपने पीठ पर थैला लादकर सुबह-सुबह गिलयों में पन्नियां इकट्ठा करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे सारे बच्चों के पुनर्वास के संबंध में, शिक्षा के संबंध में और उनके संबंध में नीति बनाने का और उसको कार्यान्वित करने का कार्य करे।

माननीय अध्यक्ष : आप एक-एक मिनट में अपनी बात रखिए। सभी को घर जाना है।

डॉ. किरीट पी. सोलंकी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री रामचरण बोहरा, श्री राहुल कासवां, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. मनोज राजोरिया, श्रीमती संतोष अहलावत, श्रीमती रीति पाठक, श्री पी.पी. चौधरी, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री शिव कुमार उदासी और श्री देवजी एम. पटेल को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, I would request you to allow the Finance Minister to move the Motion and then adjourn the House otherwise, others also want to speak. There is a problem. Now, at least there is some understanding. Please allow the Finance Minister. He can move it and subsequently it can go on record.

श्री अजय निषाद (मुज़फ़्फ़रपुर): मैं आपका ध्यान हाजीपुर और पटना के बीच में गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

महोदया, इस पुल की स्थिति बहुत ही जर्जर है। इस पुल की बिहार सरकार मरम्मत करना चाहती है और पिछले कई साल से करती आ रही है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय सड़क मंत्री इस पुल को अपने अधीन लें और पुल की शीघ्र मरम्मत कराएं।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैंरों प्रसाद मिश्र को श्री अजय निषाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

#### **12.19 hours**

### MOTION RE: CONSTITUTION OF A JOINT COMMITTEE ON INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BILL, 2015

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I give notice of my intention to move the following Motion during the current Session of the Lok Sabha:

"That the Insolvency and Bankruptcy Bill, 2015 be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of the following 20 Members of this House:

Shri P.P. Chaudhary

Shri Gopal Shetty

Shri Subhash Chandra Baheria

Shri Nishikant Dubey

Shri Shivkumar Udasi

Shri Anil Shirole

Shri Abhishek Singh

Shri Gajendra Singh Shekhawat

Dr. Sanjay Jaiswal

Shri Jagdambika Pal

Shri Jayadev Galla

Shri Chandrakant Khaire

Shri Chirag Paswan

Shri K.C. Venugopal

Kumari Sushmita Dev

Dr. P. Venugopal

Shri Kalyan Banerjee

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri B. Vinod Kumar

Shri Jitendra Chaudhury

And ten Members from the Rajya Sabha.

And, that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the Quorum shall be one-third of the total number of Members of the Joint Committee.

That the Committee shall make its Report to the House on the last day of the first week of the Budget Session of 2016. That in other respects, the Rules of Procedures of this House relating to the Parliamentary Committee shall apply with such variation and modification that the Speaker may make and the House recommends to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of the Members to be appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee. I have obtained the consent of the Members to serve on this Committee."

#### HON. SPEAKER: Motion moved:

"That the Insolvency and Bankruptcy Bill, 2015 be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of the following 20 Members of this House:

Shri P.P. Chaudhary

Shri Gopal Shetty

Shri Subhash Chandra Baheria

Shri Nishikant Dubey

Shri Shivkumar Udasi

Shri Anil Shirole

Shri Abhishek Singh

Shri Gajendra Singh Shekhawat

Dr. Sanjay Jaiswal

Shri Jagdambika Pal

Shri Jayadev Galla

Shri Chandrakant Khaire

Shri Chirag Paswan

Shri K.C. Venugopal

Kumari Sushmita Dev

Dr. P. Venugopal

Shri Kalyan Banerjee

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri B. Vinod Kumar

Shri Jitendra Chaudhury

And ten Members from the Rajya Sabha.

And, that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the Quorum shall be one-third of the total number of Members of the Joint Committee.

That the Committee shall make its Report to the House on the last day of the first week of the Budget Session of 2016. That in other respects, the Rules of Procedures of this House relating to the Parliamentary Committee shall apply with such variation and modification that the Speaker may make and the House recommends to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of the Members to be appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee. I have obtained the consent of the Members to serve on this Committee."

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, we appreciate this decision. It was Prof. Saugata Roy, on behalf of our Party, very categorically mentioned that let this Bill be referred to a Joint Committee and Shri Venkaiah ji also took the lead in the matter in consultation with other political parties. Now, ultimately good sense prevailed and it is better late than never. The Government though took a late decision yet ultimately have come to the conclusion that the Bill should be referred to the Joint Committee. We are thankful to Shri Arun Jaitley.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Though it is late, the Government has taken the right decision.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Consideration of the matter took time. I do not want to join the blame game.

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Insolvency and Bankruptcy Bill, 2015 be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of the following 20 Members of this House:

Shri P.P. Chaudhary Shri Gopal Shetty Shri Subhash Chandra Baheria Shri Nishikant Dubey Shri Shivkumar Udasi

Shri Anil Shirole

Shri Abhishek Singh

Shri Gajendra Singh Shekhawat

Dr. Sanjay Jaiswal

Shri Jagdambika Pal

Shri Jayadev Galla

Shri Chandrakant Khaire

Shri Chirag Paswan

Shri K.C. Venugopal

Kumari Sushmita Dev

Dr. P. Venugopal

Shri Kalyan Banerjee

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri B. Vinod Kumar

Shri Jitendra Chaudhury

And ten Members from the Rajya Sabha.

And, that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the Quorum shall be one-third of the total number of Members of the Joint Committee. That the Committee shall make its Report to the House on the last day of the first week of the Budget Session of 2016. That in other respects, the Rules of Procedure of this House relating to the Parliamentary Committee shall apply with such variation and modification that the Speaker may make and the House recommends to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of the Members to be appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee."

The motion was adopted.

### **12.22 hours**

#### VALEDICTORY REFERENCE

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सोलहवीं लोक सभा का छठा सत्र जो 26 नवम्बर, 2015 को आरम्भ हुआ था, आज समाप्त हो रहा है।

इस सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें हुईं जो 117 घंटे और 20 मिनट चलीं।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती मनाने के लिए सभा की 26 और 27 नवम्बर, 2015 अर्थात् दो दिन विशेष बैठकें हुईं। इस अवसर पर डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती मानते हुए हमने सभा में भारत के संविधान के प्रति अपनी वचनबद्धता को लेकर काफी सार्थक चर्चाएं कीं। चर्चा 13 घंटे और 53 मिनट चली, जिसमें 147 सदस्यों ने भाग लिया। तत्पश्चात् सभा ने संविधान के सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए संकल्प पारित किया।

इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य का भी निपटान किया गया। वर्ष 2015-2016 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य)(दूसरा बैच) और वर्ष 2012-2013 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर संयुक्त चर्चा हुई जो उन मांगों पर मतदान होने तथा संबंधित विनियोग विधेयकों के पारित होने से पूर्व 3 घंटे 54 मिनट तक चली।

इस सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए। कुल 13 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं - भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2015, वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015, माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015 और राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015।

सत्र के दौरान 360 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे जिनमें से करीब 77 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार औसतन प्रतिदिन 4.3 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शेष तारांकित प्रश्नों के साथ 4140 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

प्रश्नकाल के पश्चात् और शाम को देर तक बैठकर सदस्यों द्वारा अविलंबनीय लोक महत्व के लगभग 629 मामले उठाए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अंतर्गत 331 मामले भी उठाए। स्थायी सिमितियों ने सभा में 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

सभा में नियम 193 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों अर्थात् (एक) देश में असिहष्णुता की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति, (दो) देश के कई भागों में बाढ़ की स्थिति, (तीन) देश के विभिन्न भागों में

सूखे की स्थिति और (चार) मूल्य वृद्धि के बारे में चार अल्पकालिक चर्चाएं हुईं। इनमें से मूल्य वृद्धि पर चर्चा पूरी नहीं हुई। इन महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चाओं का समापन संबंधित मंत्रियों के उत्तर से हुआ। मंत्रियों द्वारा अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 36 वक्तव्य दिए गए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के बारे में तीन वक्तव्य दिए गए। सत्र के दौरान 1754 पत्र संबंधित मंत्रियों द्वारा सभा पटल पर रखे गए।

जहाँ तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है, सत्र के दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित 117 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। लोक सभा या विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराए जाने पर प्रत्येक नागरिक द्वारा अनिवार्य मतदान किए जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा 13 मार्च, 2015 को प्रस्ताव पेश किया गया था जिस पर चौथे और पांचवे सत्र के दौरान 24 अप्रैल, 8 मई तथा 7 अगस्त, 2015 को चर्चा हुई थी। इस सत्र में इस पर 4 दिसम्बर, 2015 को पुनः चर्चा हुई और यह चर्चा 18 दिसम्बर, 2015 को अपूर्ण रही।

जहाँ तक गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों का संबंध है, कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाने के संबंध में श्री निशिकांत दुबे द्वारा 20 मार्च, 2015 को किए गये संकल्प पर चौथे और पांचवे सत्र के दौरान क्रमशः 8 मई और 31 जुलाई, 2015 को चर्चा हुई थी और इस पर 11 दिसम्बर, 2015 को आगे भी चर्चा हुई।

"1947 में विभाजन के समय भारत में प्रवर्जित और अब देश के विभिन्न भागों में रह रहे शरणार्थियों को बसाने के लिए कदम" शब्दों को संकल्प में जोड़ने के लिए श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पेश किए गए एक संशोधन पर अंत में मतदान हुआ और वह स्वीकृत भी हुआ। तत्पश्चात् यथासंशोधित संकल्प पर उसी दिन सभा में मतदान कराया गया और वह स्वीकृत हुआ, यह भी एक विशेष बात है। यह पहली लोक सभा से अब तक सभा द्वारा स्वीकृत गैर सरकारी सदस्यों का चौंतीसवां संकल्प था।

11 दिसम्बर, 2015 को श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि पेंशनभोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में एक और संकल्प पेश किया गया जिस पर उस दिन आंशिक चर्चा हुई।

इस सत्र में व्यवधानों और बाध्य स्थगनों के कारण 8 घंटे 37 मिनट से अधिक का समय नष्ट हुआ, सभा नष्ट हुए समय की क्षतिपूर्ति के लिए 17 घंटे 10 मिनट देर तक बैठी। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ।

मैं माननीय उपाध्यक्ष और सभापित तालिका में शामिल अपने साथियों का सभा के सुचारु कार्य संचालन में सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों तथा माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मैं इस अवसर पर महासचिव और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा

कर्मचारियों को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं सभा

की कार्यवाही के संचालन में संबंधित एजेंसियों, प्रेस आदि द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए उनका

धन्यवाद करती हूँ।

इस अवसर पर मैं आपको और आपके परिवार के सदस्यों को क्रिसमस और नव वर्ष की बधाई देती हूं। इस नए वर्ष में हम सब मिलकर यह कामना करें कि नया वर्ष हम सभी के जीवन में नई आशा, नई उमंग, नई ऊर्जा एवं नई सोच लेकर आए और सब मिलकर इस बात पर विचार भी करे। नई सोच भी आए, नई ऊर्जा भी आए, साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि हम यह भी विचार करें कि यदि आप किसी मुद्दे पर असहमति दर्ज कराना चाहते हैं तो संसदीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए शक्तिपूर्वक रूप से असहमति दर्ज कराएं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि संसद में चर्चा एवं विधायी कार्य ज्यादा से ज्यादा हो, गतिरोध कम से कम हो और एक जिम्मेदार सांसद के नाते हम सभी अपना कर्त्तव्य पूरा करने में कामयाब रहें। इस पर हम सोचें।

मैं आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद देती हूं और अब मैं चाहूंगी कि हम सभी "वन्दे मातरम" के लिए खड़े हो जाएं।

#### **12.31 hours**

#### **NATIONAL SONG**

(The National Song was played.)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned sine die.

### **12.32 hours**

The Lok Sabha then adjourned sine die.